

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 नवम्बर 2015—अग्रहायण 6, शक 1937

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

क्र. ई-5-884-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती तन्वी सुन्दरियाल, आयएएस., अपर प्रबंध संचालक, पर्यटन विकास निगम को दिनांक 23 से 29 अक्टूबर 2015 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 22 अक्टूबर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल लौटने पर श्रीमती तन्वी सुन्दरियाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर प्रबंध संचालक, पर्यटन विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती तन्वी सुन्दरियाल, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती तन्वी सुन्दरियाल, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2015

क्र. ई-5-481-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री इकबाल सिंह बैस, आयएएस., प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव, विमानन विभाग को दिनांक 28 से 31 अक्टूबर 2015 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री इकबाल सिंह बैस, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव विमानन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री इकबाल सिंह बैस, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इकबाल सिंह बैस, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2015

क्र. ई-1-384-2015-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 अक्टूबर 2015 द्वारा निर्मांकित भाप्रसे अधिकारियों को उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया गया है, को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए

विभाग में पदस्थ किया जाता है:—

क्रमांक	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	विभाग जिसमें पदस्थ किया जाता है
(1)	(2)	(3)
1	श्री मधुकर आग्नेय (2004) उपसचिव, म. प्र. शासन.	अनुसूचि जाति कल्याण विभाग.
2	श्री अजय गुप्ता (2009) उपसचिव, म. प्र. शासन.	किसान कल्याण तथा कृषि विभाग.

क्र. ई-1-394-2015-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भा.प्र.से., अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय जिसके समक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती सुनीता त्रिपाठी (2000) अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान.	संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं हौम्योपेथी का अतिरिक्त प्रभार.	अपर सचिव, म. प्र. शासन
2	डॉ. नवनीत मोहन कोठारी (2001) संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं हौम्योपेथी का अतिरिक्त प्रभार.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा संचालक, बजट का अतिरिक्त प्रभार.	—
3	श्रीमती शिल्पा गुप्ता (2008), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

(2) उपरोक्तानुसार डॉ. नवनीत मोहन कोठारी द्वारा संचालक बजट का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमित राठौर, भाप्रसे (1996), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत विभाग (अतिरिक्त प्रभार) एवं संचालक, बजट का अतिरिक्त प्रभार केवल संचालक, बजट के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(3) श्री संजीव सिंह, भाप्रसे (2005), नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश तथा संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान (डी.एम.आई.) का अतिरिक्त प्रभार को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2015

क्र. ई-5-476-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री दीपक खाण्डेकर, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को दिनांक 9 से 13 नवम्बर 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 14, 15 नवम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री दीपक खाण्डेकर की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री बी. पी. सिंह, भाप्रसे अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक खाण्डेकर, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री दीपक खाण्डेकर द्वारा प्रमुख सचिव, वन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. पी. सिंह उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री दीपक खाण्डेकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक खाण्डेकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-570-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 2 से 6 नवम्बर 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री अजीत केसरी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री पी. सी. मीना, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अजीत केसरी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. सी. मीना उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 2/3 नवम्बर 2015

क्र. ई-1-31-2012-5-एक.—(1) श्री एस. सुहेल अली, भाप्रसे (1999) के कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला भिण्ड के पद पर पदस्थ रहने के दौरान भिण्ड जिले की समस्त ग्राम पंचायतों के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत रुपये 31.38 लाख की लागत से कुल 894 दरियों का क्रय करने में नियमों का उल्लंघन करने के बारे में श्री सुहेल अली के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 के नियम 7 के उपनियम (1)(बी) के अन्तर्गत दिनांक 19 फरवरी 2010 को आरोप-पत्र जारी किए गए थे।

(2) आरोपों के बारे में श्री अली से दिनांक 30 अप्रैल 2010 को बचाव उत्तर प्राप्त हुआ। इस पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से आरोपवार तथ्यात्मक प्रतिवेदन अभिमत सहित चाहा गया जो दिनांक 23 नवम्बर 2010 को प्राप्त हुआ। प्रकरण के परीक्षण उपरांत श्री अली का उत्तर समाधानकारक नहीं पाए जाने से इन आरोपों की जांच के लिए दिनांक 26 मार्च 2012 को विभागीय जांच आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।

(3) जांच अधिकारी, विभागीय जांच आयुक्त से जांच प्रतिवेदन दिनांक 14 जून 2013 को प्राप्त हुआ। विभागीय जांच आयुक्त ने जांच प्रतिवेदन में श्री अली पर अधिरोपित तीनों ही आरोपों को किसी भी रूप में प्रमाणित नहीं होना पाते हुए उन्हें समस्त आरोपों से दोषमुक्त होना ठहराया।

(4) जांच प्रतिवेदन पर घटना से संबंधित प्रशासकीय विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का अभिमत चाहा गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने विभागीय जांच आयुक्त के निष्कर्षों से असहमति व्यक्त की।

(5) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अभिमत के आलोक में विभागीय जांच अधिकारी के जांच निष्कर्षों से असहमत होते हुए और असहमति के आधार अंकित करते हुए जांच प्रतिवेदन श्री अली को संसूचित किया जाकर उनसे अभ्यावेदन चाहा गया। श्री अली द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2015 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। प्रकरण

के परीक्षणोपरांत श्री अली को राज्य की अप्रसन्नता संसूचित करते हुए और भविष्य में अधिक सतर्कता से कार्य करने के निर्देश देते हुए यह प्रकरण इसी प्रक्रम पर बिना किसी दण्ड के समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

(6) तदनुक्रम में राज्य शासन द्वारा श्री एस. सुहेल अली, भाप्रसे (1999) तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, भिण्ड के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच का उपरोक्त प्रकरण श्री अली को राज्य शासन की अप्रसन्नता संसूचित करते हुए और भविष्य में अधिक सतर्कता से कार्य करने के निर्देश देते हुए बिना किसी दण्ड के आदेश क्रमांक डी-2-65-2009-6-एक, दिनांक 21 अक्टूबर 2015 से समाप्त किया गया है।

(7) उल्लेखनीय है कि आवंटन वर्ष 1999 के भाप्रसे अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान दिये जाने के संबंध में दिनांक 1 जनवरी 2012 को सम्पन्न छानबीन समिति की बैठक में समिति द्वारा श्री एस. सुहेल अली, भाप्रसे (1999) के विरुद्ध विभागीय जांच का उपरोक्त प्रकरण लंबित होने के कारण समिति द्वारा श्री अली की उपयुक्तता के संबंध में अपनी अनुशंसा सीलबंद लिफाफे में रखी गई थी।

(8) आवंटन वर्ष 2000 एवं 2001 के भाप्रसे अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान दिये जाने के संबंध में क्रमशः दिनांक 31 जनवरी 2013 एवं 12 सितम्बर 2014 को बैठक सम्पन्न हुई। इन दोनों बैठकों में भी श्री एस. सुहेल अली, भाप्रसे (1999) के नाम पर विचार किया गया, तत्समय श्री एस. सुहेल अली के विरुद्ध विभागीय जांच का उपरोक्त प्रकरण लंबित होने के कारण इन बैठकों में भी समिति द्वारा श्री अली की उपयुक्तता के संबंध में अपनी अनुशंसा सीलबंद लिफाफे में रखी गई।

(9) श्री एस. सुहेल अली, भाप्रसे (1999) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच का प्रकरण उपरोक्तानुसार बिना किसी दण्ड के समाप्त किया जा चुका है।

(10) अतः आवंटन 1999 के भाप्रसे अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान दिये जाने के संबंध में दिनांक 1 जनवरी 2012 को संपन्न छानबीन समिति की बैठक में समिति द्वारा श्री एस. सुहेल अली, भाप्रसे (1999) के संबंध में की गई अनुशंसा का सीलबंद लिफाफा खोला गया। समिति द्वारा उन्हें प्रवर श्रेणी वेतनमान दिए जाने के लिए उपयुक्त (FIT) पाया गया है।

(11) अतः राज्य शासन, एतद्वारा श्री एस. सुहेल अली, भाप्रसे (1999) सचिव, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर को उनसे तत्काल कनिष्ठ अधिकारी श्रीमती रजनी उइके को प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किए जाने अर्थात् दिनांक 1 जनवरी, 2012 से प्रवर श्रेणी

वेतनमान (रुपये 37400—67000+ग्रेड पे 8700) में काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion) प्रदान करता है।

(12) प्रवर श्रेणी वेतनमान में श्री एस सुहेल अली का वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति की तिथि अर्थात् दिनांक 1-1-2012 से निर्धारित होंगे, किन्तु प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक उन्हें वेतन भत्तों के एरियर्स की राशि की पात्रता नहीं होगी। प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति का वास्तविक लाभ उन्हें प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्राप्त होगा।

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2015

क्र. ई-1-2-2012-5-एक(ए).—श्री आशुतोष अवस्थी, भाप्रसे (2001) कलेक्टर, जिला देवास भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त आवंटन वर्ष 2001 से 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर भाप्रसे के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के लिए अर्ह हो गए हैं। श्री आशुतोष अवस्थी को भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2009-AIS-(1)-B, दिनांक 1 अगस्त 2011 से भाप्रसे में नियुक्ति प्रदान की गई है। अतः राज्य शासन श्री आशुतोष अवस्थी, भाप्रसे (2001) को दिनांक 1 अगस्त 2011 से भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम-3(1) के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान-बैंड पे (रुपये 15,600—39,100+ग्रेड पे 7,600) स्वीकृत करता है।

क्र. ई-1-2-2012-5-एक.—भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त आवंटन वर्ष 2002 के निम्नलिखित भाप्रसे अधिकारी उनके आवंटन वर्ष 2002 से 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर भाप्रसे के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के लिए अर्ह हो गए हैं। इन अधिकारियों को भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2009-AIS-(1)-B, दिनांक 1 अगस्त 2011 से भाप्रसे में नियुक्ति प्रदान की गई है। अतः राज्य शासन आवंटन वर्ष 2002 के निम्नांकित भाप्रसे अधिकारियों को दिनांक 1 अगस्त 2011 से भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम-3(1) के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान-बैंड पे (रुपये 15,600—39,100+ग्रेड पे 7,600) स्वीकृत करता है।

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री अशोक कुमार भार्गव	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन विभाग.

(1)	(2)	(3)
2	श्री मसूद अख्तर	कलेक्टर, जिला छतरपुर
3	श्री राजेन्द्र सिंह	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश तीर्थ मेला प्राधिकरण.
4	श्री जनक कुमार जैन	कलेक्टर, जिला रायसेन
5	श्री राजेश बहुगुणा	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर इन्दौर.
6	श्री महेश चन्द चौधरी	कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा
7	श्री आनंद शर्मा	कलेक्टर, जिला राजगढ़
8	श्री दयालदास अग्रवाल	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग.
9	श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव.	कलेक्टर जिला हरदा.

क्र. ई-5-859-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री भरत यादव, आयएएस., कलेक्टर, जिला सिवनी को दिनांक 16 से 28 नवम्बर 2015 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15 एवं 29 नवम्बर 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री भरत यादव की अवकाश अवधि में श्री सुनील दुबे, अपर कलेक्टर, सिवनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला सिवनी का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री भरत यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सिवनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री भरत यादव द्वारा कलेक्टर, जिला सिवनी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुनील दुबे, कलेक्टर, जिला सिवनी के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री भरत यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भरत यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-1-2-2012-5-एक (बी).—श्री एन. पी. डहेरिया, भाप्रसे (2001), अपर आयुक्त (राजस्व), भोपाल एवं नर्मदापुरम् संभाग भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त आवंटन वर्ष 2001 से 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर भाप्रसे के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के लिए अर्ह हो गए हैं. श्री एन. पी. डहेरिया को भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2009-AIS-(1)-B, दिनांक 18 जनवरी 2012 से भाप्रसे में नियुक्ति प्रदान की गई है. अतः राज्य शासन, श्री एन. पी. डहेरिया, भाप्रसे (2001) को दिनांक 1 अगस्त 2011 से भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम-3(1)के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान-बैण्ड पे (रुपये 15,600—39,100+ग्रेड पे 7,600) स्वीकृत करता है.

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2015

क्र. ई-5-826-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस., संचालक हस्तशिल्प एवं हाथ करघा तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम को दिनांक 9 से 20 नवम्बर 2015 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक हस्तशिल्प एवं हाथ करघा तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

## गृह विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2015

क्र. एफ-1(ए)31-2007-ब-2-दो.—श्री के. सी. जैन, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज, छतरपुर को दिनांक 12 से 20 नवम्बर 2015 तक कुल नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 नवम्बर 2015 के पश्चात्पूर्वी विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है एवं उक्त अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के द्वितीय पार्ट 2014-15 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की यात्रा के तहत उन्हें अंडमान निकोबार की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

1. श्री के. सी. जैन स्वयं
2. श्रीमती राजश्री जैन पत्नी
3. कु. कृति जैन पुत्री

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री के. सी. जैन, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नकदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नकदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3) अवकाश अवधि में श्री के. सी. जैन, भापुसे, का चालू कार्य श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, छतरपुर, द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित करेंगे.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज, छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री के. सी. जैन, भापुसे, के द्वारा अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 3 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पर पद बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2015

फा. क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक)-2652-2015.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 3, 24, 51, 53, 70, 72 एवं 103 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ, अर्थात्:—

### सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
3	अनूपपुर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर.	श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर.
24	दतिया	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दतिया.	श्री रूचिर शर्मा, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, दतिया.
51	जबलपुर	*अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 9.	श्री ऋषभ कुमार सिंघई, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 9, जबलपुर.
53	झाबुआ	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम.	श्री के. सी. बांगर, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, झाबुआ.

70	रायसेन	द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, रायसेन.	श्री आलोक अवस्थी, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, रायसेन.
72	राजगढ़	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, राजगढ़.	श्री कुशल पाल सिंह, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, राजगढ़.
103	टीकमगढ़	द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, टीकमगढ़.	श्री विनोद कुमार, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, टीकमगढ़.

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1)-2652-015.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I, dated 24th September, 2010, namely:—

#### AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial number 3, 24, 51, 53, 70, 72, 103 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
1	3	Anoppur	Shri Ajay Prakash Mishr, Ist ASJ, Anoppur
2	24	Datia	Shri Ruchir Sharma, Ist ASJ, Datia
3	51	Jabalpur	Shri Rishabh Kumar Singhai, Special Judge of special court No. 9 Electricity Act, Jabalpur.
4	53	Jhabua	Shri K. C. Bangar, Special Judge, SC/ST (POA) Act, Jhabua.
5	70	Raisen	Shri Alok Awasthy, IInd ASJ, Raisen
6	72	Rajgarh	Shri Kushal Pal Singh, Ist ASJ, Rajgarh
7	103	Tikamgarh	Shri Vinod Kumar, IInd ASJ, Tikamgarh

फा. क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक)-2652-2015.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 53 एवं 70 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं,

#### सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
53	झाबुआ	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989.	सिविल जिला झाबुआ, पेटलावद एवं थांदला के समस्त विद्युत् क्षेत्र.
70	रायसेन	द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, रायसेन.	सिविल जिला रायसेन, के समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 71 में दिए गए विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1)-2652-2015.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I, dated 24th September, 2010, namely:—

## AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial number 53 & 70 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of the Special Court (According to Electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
53	Jhabua	Special Judge, SC/ST (POA) Act	All electricity area of Civil District, Jhabua, Petlawad and Thandla.
70	Raisen	IInd Additional Sessions Judge	All electricity area of Civil District Raisen (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 71).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2015		(1)	(2)	(3)
फा. क्र. 17(ई)-44-2013-इक्कीस-ब(एक)-2997-15.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक-ब(एक)-3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—		11.	धार	अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बड़वानी. श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, धार.
		13.	गुना	श्री अमरनाथ, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, गुना.
		21.	मंडला	श्री सुरेन्द्र कुमार तुरकर, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, मंडला.
		28.	राजगढ़	श्री कुशल पाल सिंह, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार
संशोधन				
उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 2, 11, 13, 21, 28, 29, 43 एवं 45 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—				
सारणी				
क्रमांक	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम		
(1)	(2)	(3)		
"2.	बड़वानी	श्री अखिलेश जोशी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा		



(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
		निवारण) अधिनियम, राजगढ़.	11.	Dhar	Shri Arvind Kumar Shrivastava (Jr.) Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Dhar.
29.	रतलाम	श्री डी. एन. शुक्ला, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, रतलाम.			
43.	विदिशा	श्री रमेश कुमार सोनी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, विदिशा.	13.	Guna	Shri Amarnath Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Guna.
45.	अलीराजपुर	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर”.	21.	Mandla	Shri Surendra Kumar Turkar, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Mandla.
			28.	Rajgarh	Shri Kushal Pal Singh, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Rajgarh.
			29.	Ratlam	Shri D. N. Shukla, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Ratlam.
			43.	Vidisha	Shri Ramesh Kumar Soni, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Vidisha.
			45.	Alirazpur	Shri Satyendra Kumar Singh, Sessions Judge, Alirazpur.”

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 17(E) 44-2013-XXI-B(One)-2997-2015.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification F. No. B (1) 3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, namely:—

#### AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial no. 2, 11, 13, 21, 28, 29, 43 and 45 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Name of District	Name and Designation of the Judge
(1)	(2)	(3)
"02.	Barwani	Shri Akhilesh Joshi, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Barwani.

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र.1-5-96-इक्कीस-ब(एक)2995-2015.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक)-2014,

दिनांक 1 नवम्बर, 2014 को आंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा श्री योगेश चन्द्र गुप्त, षष्ठम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का सं. 25) के अधीन अन्वेषण किए गए मामलों के विचारण के लिए, नीचे विनिर्दिष्ट किये गये राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, जिनका मुख्यालय जबलपुर होगा, अर्थात्:—

#### राजस्व जिला

- (1) जबलपुर (2) नरसिंहपुर (3) मंडला (4) सागर (5) दमोह (6) सिवनी (7) छिंदवाड़ा (8) रीवा (9) सतना (10) पन्ना (11) सीधी (12) बालाघाट (13) शहडोल (14) कटनी (15) डिंडोरी (16) उमरिया (17) अनूपपुर (18) सिंगरौली.

F. N.1-5-96-XXI-B(One)-2995-2015.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of

Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) and in supersession of this department's Notification No. F. N. 1-5-96-XXI B(One)-2014, dated 14th November, 2014, the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints Shri Yogesh Chandra Gupt, VIth Additional Sessions Judge, Jabalpur, as Special Judge with Headquarter at Jabalpur, for the areas comprising of the Revenue Districts specified below to try the cases in regard to the offences specified in clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 3 of the said Act investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation, namely:—

#### REVENUE DISTRICT

- (1) Jabalpur (2) Narsinghpur (3) Mandla (4) Sagar (5) Damoh (6) Seoni (7) Chhindwara (8) Rewa (9) Satna (10) Panna (11) Sidhi (12) Balaghat (13) Shehdol (14) Katni (15) Dindori (16) Umaria (17) Anuppur (18) Singrauli

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब(एक)-2998-2015.—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 23, 26, 33, 36, 38, 43, 46, एवं 51 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं,—

अनुक्रमांक (1)	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)	विशेष न्यायालय (3)	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4)
23.	श्री रमेश कुमार सोनी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, विदिशा.	विदिशा	विदिशा
26.	श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव (जूनियर), विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, धार.	धार	धार
33.	श्री अमरनाथ, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां/ अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, गुना.	गुना	गुना
36.	श्री कुशल पाल सिंह, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, राजगढ़.	राजगढ़	राजगढ़

(1)	(2)	(3)	(4)
38.	श्री डी. एन. शुक्ला, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, रतलाम.	रतलाम.	रतलाम
43.	श्री सुरेन्द्र कुमार तुरकर, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, मंडला.	मंडला	मंडला
46.	श्री अखिलेश जोशी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बड़वानी.	बड़वानी	बड़वानी
51.	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर.	अलीराजपुर	अलीराजपुर

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 1-6-89-XXI-B-One-2998-2015.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification No. F. 1-6-89-XXI-B(1) dated 3rd April, 1998, which was published, in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated the 17th April, 1998, nemely:—

#### AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule for serial Numbers 23, 26, 33, 36, 38, 43, 46 and 51 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted:—

S. No.	Name and Designation of the Judge	Special Court	Local area Session Divisions
(1)	(2)	(3)	(4)
23.	Shri Ramesh Kumar Soni, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (POA) Act, Vidisha.	Vidisha	Vidisha
26.	Shri Arvind Kumar Shrivastava (Jr.) Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (POA) Act, Dhar.	Dhar	Dhar
33.	Shri Amarnath, Special Judge, Scheduled Castes, and Scheduled Tribes (POA) Act, Guna.	Guna	Guna
36.	Shri Kushal Pal Singh, Special Judge, Scheduled Castes, and Scheduled Tribes (POA) Act, Rajgarh	Rajgarh	Rajgarh
38.	Shri D. N. Shukla, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (POA) Act, Ratlam.	Ratlam	Ratlam
43.	Shri Surendra Kumar Turkar, Special Judge, Scheduled Castes, and Scheduled Tribes (POA) Act, Mandla.	Mandla	Mandla
46.	Shri Akhilesh Joshi, Special Judge, Scheduled Castes, and Scheduled Tribes (POA) Act, Barwani.	Barwani	Barwani
51.	Shri Satyendra Kumar Singh, Sessions Judge, Alirazpur.”	Alirazpur	Alirazpur

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this Notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. वाणी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2015

फा. क्र. 1(सी)08-2015-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा-14 के अनुसार उज्जैन जिले के विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4(1) के अनुसार श्री रूप सिंह राठौर, अधिवक्ता को जिला उज्जैन में विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है.

उक्त, नियुक्ति श्री रूप सिंह राठौर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है. किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होंगे. विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु पैनल अधिवक्ता को कार्य जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा.

नियुक्त, अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31 व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

टीप—श्री रूप सिंह राठौर की जन्मतिथि 2 जनवरी 1962 (दो जनवरी उन्नीस सौ बासठ) है, दिनांक 2 जनवरी 2024 को आयु 62 (बासठ) वर्ष पूर्ण होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. के. वैद्य, सचिव.

## योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2015

क्र. एफ-10-28-2010-तेईस-योआसां.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 संशोधित अधिनियम-1999, की धारा-4 की उपधारा 3(ग) तथा संशोधित अध्यादेश 2005 की धारा 4 (1) में प्रदत्त अधिकारों के तहत नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्यों को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी दो वर्ष की कालावधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाता है:—

क्र. (1)	अशासकीय सदस्य का नाम (2)	जिला योजना समिति (3)
1	श्रीमती कृष्ण कांता तोमर	भिण्ड
2	श्री केशव सिंह भदौरिया	भिण्ड

(1)	(2)	(3)
3	श्री मारोत राव खबसे	छिन्दवाड़ा
4	श्री दौलत सिंह ठाकुर	छिन्दवाड़ा
5	श्री रामसिंह आत्मज	रीवा
	स्व. श्री जगदीश सिंह.	
6	श्री अभय चौधरी	ग्वालियर
7	श्री रमेश धाड़ीवाल	धार
8	श्री खेमराज पाटीदार	धार
9	श्री आर. के. सिंह बघेल	भोपाल
10	श्री अशोक सेनी	भोपाल
11	श्री अभय प्रताप सिंह यादव	टीकमगढ़
12	श्री लाखन सिंह दांगी	टीकमगढ़

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सरिता बाला, उपसचिव.

## ऊर्जा विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2015

क्र.10540-एफ-3-9-2009-तेरह.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन के आर्टिकल्स 58 (एफ) के प्रावधानों के अंतर्गत श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता (भा. प्र. से. 1998) का चयन किये जाने के फलस्वरूप, उन्हें आर्टिकल 58 (एच) (i) एवं (iv) के प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के प्रबंध संचालक के पद पर आदेश जारी करने की तिथि से, तीन वर्ष की अवधि अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, के लिये नियुक्त करता है.

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2015

क्र.10519-एफ-3-1-2012-तेरह.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लि. के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल्स 58 (ई) के प्रावधानों के अंतर्गत श्री ए. पी. भैरवे, संचालक (वाणिज्य), मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लि. का चयन किये जाने के फलस्वरूप उन्हें आर्टिकल 58 (जी) (i) एवं (v) के प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लि. जबलपुर के प्रबंध संचालक के पद पर आदेश जारी करने के तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, के लिये नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. धारीवाल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

## नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2015

## सूचना

क्र. एफ-3-36-2015-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23-“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3-36-2015-अठारह-5, दिनांक 15 जून 2015 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इंदौर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है:—

## अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल एकड़ में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ग्राम बड़ा बागडंदा	321 पार्ट, 322 पार्ट, 324 पार्ट, 694 पार्ट, 680 पार्ट 681 पार्ट एवं 682 पार्ट, एवं 316/3/2 पार्ट, 320 पार्ट, 322 पार्ट, 695 पार्ट, 698 पार्ट, 696 पार्ट, 697 पार्ट, 692 पार्ट, 693 पार्ट एवं 682 पार्ट,	1.008 हे.       1.118 हे.	18 मीटर चौड़ा मार्ग       आवासीय	आवासीय       18 मीटर चौड़ा मार्ग शर्त-विकास योजना का प्रश्नाधीन 18 मीटर चौड़े मार्ग परिवर्तित रेखांकन पश्चात् सार्वजनिक मार्ग रहेगा.
		योग . .	2.126		

(2) उक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. के. मुद्गल, उपसचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर, जिला खरगोन

खरगोन, दिनांक 16 अक्टूबर 2015

क्र. 11944-जनगणना-2015.—राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3) दिनांक 16 फरवरी 2012 (म. प्र. राजपत्र दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अंतर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने और “राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य” का पर्यवेक्षण करने लिए अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. (04) में एन. पी.आर. पद नाम एवं कॉलम नं. (5) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है:—

क्रम संख्या	प्रशासनिक इकाई	पदनाम	नियुक्त किये जाने वाला पदनाम	प्रशासनिक क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	तहसील, खरगोन	तहसीलदार, खरगोन	उप जिला रजिस्ट्रार तहसील, खरगोन.	तहसील खरगोन के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	तहसील, भगवानपुरा	तहसीलदार, भगवानपुरा	उप जिला रजिस्ट्रार तहसील, भगवानपुरा.	तहसील भगवानपुरा के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
3	तहसील, सेगांव	तहसीलदार, सेगांव	उप जिला रजिस्ट्रार तहसील, सेगांव.	तहसील सेगांव के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
4	तहसील, गोगावां	तहसीलदार, गोगावां	उप जिला रजिस्ट्रार तहसील, गोगावां.	तहसील गोगावां के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
5	तहसील, भीकनगांव	तहसीलदार, भीकनगांव	उप जिला रजिस्ट्रार तहसील, भीकनगांव.	तहसील भीकनगांव के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
6	तहसील, झिरन्या	तहसीलदार, झिरन्या	उप जिला रजिस्ट्रार तहसील, झिरन्या.	तहसील झिरन्या के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
7	तहसील, सनावद	तहसीलदार, सनावद	उप जिला रजिस्ट्रार तहसील, सनावद.	तहसील सनावद के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
8	तहसील, बड़वाह	तहसीलदार, बड़वाह	उप जिला रजिस्ट्रार तहसील, बड़वाह.	तहसील बड़वाह के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
9	तहसील, महेश्वर	तहसीलदार, महेश्वर	उप जिला रजिस्ट्रार तहसील, महेश्वर.	तहसील महेश्वर के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
10	तहसील, कसरावद	तहसीलदार, कसरावद	उप जिला रजिस्ट्रार तहसील, कसरावद.	तहसील कसरावद के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
11	नगरपालिका, खरगोन	मुख्य नगरपालिका, अधिकारी, खरगोन.	उप जिला रजिस्ट्रार नगरपालिका, खरगोन.	नगरपालिका, खरगोन के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
12	नगर परिषद, भीकनगांव	मुख्य नगरपालिका, अधिकारी, भीकनगांव.	उप जिला रजिस्ट्रार नगरपालिका, भीकनगांव.	नगरपालिका, भीकनगांव के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
13	नगर पालिका, सनावद	मुख्य नगरपालिका, अधिकारी, सनावद.	उप जिला रजिस्ट्रार नगरपालिका, सनावद.	नगरपालिका, सनावद के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
14	नगर पालिका, बड़वाह	मुख्य नगरपालिका, अधिकारी, बड़वाह.	उप जिला रजिस्ट्रार नगरपालिका, बड़वाह.	नगरपालिका, बड़वाह के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
15	नगर परिषद, करही	मुख्य नगरपालिका, अधिकारी, करही.	उप जिला रजिस्ट्रार नगरपालिका, करही.	नगरपालिका, करही के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
16	नगर परिषद, मण्डलेश्वर.	मुख्य नगरपालिका, अधिकारी, मण्डलेश्वर.	उप जिला रजिस्ट्रार नगरपालिका, मण्डलेश्वर.	नगरपालिका, मण्डलेश्वर के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
17	नगर परिषद, महेश्वर.	मुख्य नगरपालिका, अधिकारी, महेश्वर.	उप जिला रजिस्ट्रार नगरपालिका, महेश्वर.	नगरपालिका, महेश्वर के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
18	नगर परिषद, कसरावद.	मुख्य नगरपालिका, अधिकारी, कसरावद.	उप जिला रजिस्ट्रार नगरपालिका, कसरावद.	नगरपालिका, कसरावद के अंतर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.

उप जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3) दिनांक 16 फरवरी 2012 के तहत जारी कर सकेंगे.

नीरज दुबे, कलेक्टर एवं उप सचिव/अति. सचिव एवं जिला रजिस्ट्रार (एन. पी.आर.).

कार्यालय, मुख्य अभियंता (विद्युत् सुरक्षा) एवम् मुख्य विद्युत् निरीक्षक, मध्यप्रदेश शासन, क-खण्ड,  
तृतीय मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

क्र. अ. मं.-विठे-निरस्ती-2015-16-3069-मु.अ.—मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत्) विनियम, 1960 के निम्न प्रकार से विनियमों का पालन न करने के फलस्वरूप विद्युत् ठेकेदार अनुज्ञप्तियाँ निरस्त हुयी हैं जिनकी सूचियाँ संलग्न हैं:—

01. विनियम 26 (2) के तहत पर्यवेक्षक द्वारा कार्य छोड़ने के दिनांक से 6 माह में दूसरे पर्यवेक्षक की नियुक्ति न किये जाने के कारण विद्युत् ठेकेदार अनुज्ञप्ति स्वतः निरस्त हो चुकी है. अतः पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के दिनांक से विद्युत् ठेकेदार द्वारा जारी की गई कार्यपूर्ति/परीक्षण रिपोर्ट अमान्य है. संलग्न सूची क्रमांक-(1) वि.ठे. संख्या-166.
02. विनियम, 29 के तहत दिनांक 30-06-2015 तक आगामी वर्ष अवधि 2015-17 तक के लिये विद्युत् ठेकेदार अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण न कराये जाने के कारण अनुज्ञप्ति स्वतः निरस्त हो चुकी है. अतः दिनांक 01-01-2015 से विद्युत् ठेकेदार द्वारा जारी की गई कार्यपूर्ति/परीक्षण रिपोर्ट अमान्य है—संलग्न सूची क्रमांक-(2) वि.ठे. संख्या-93.
03. सूची क्रमांक (3) में अंकित विद्युत् ठेकेदारों द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति स्वयं के अनुरोध पर निरस्त की गई है. अनुमति के निरस्तीकरण दिनांक से कार्यपूर्ति/परीक्षण रिपोर्ट अमान्य है. संलग्न सूची क्रमांक-(3) वि.ठे. संख्या-33.

पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के पश्चात 06 माह तक पर्यवेक्षक की नियुक्ति न होने के कारण निरस्त  
अनुज्ञप्तियों की सूची दिनांक सहित

क्र. (1)	पर्यवेक्षक कार्य छोड़ने से (2)	दिनांक (3)	अनुज्ञप्ति क्र. (4)
1	श्री प्रताप राय, प्रो. मेसर्स रवि टेडर्स हमीदिया रोड, भोपाल	23-11-14	899-अ
2	श्री भानुप्रताप सिंह राघव, प्रो. कैम्प लाइन इलेक्ट्रिकल्स ई-6, जे-107 अरेरा कालोनी भोपाल-16 (म. प्र.).	31-03-15	28/1358-अ
3	श्री समरथमल जैन, आत्मज श्री चांदमल जैन, 1/14 महेश नगर, इन्दौर (म. प्र.)	22-03-15	23/1455-अ
4	श्री विपिन कुमार शिवहरे, प्रो. यश इलेक्ट्रिकल्स 105 विनयनगर सेक्टर-2 देवस्थान समिति लश्कर ग्वालियर (म. प्र.).	15-07-14	03/1501-अ
5	श्री राजेश राजपूत 47 श्री गणेश कालोनी संतपाल स्कूल के पीछे, मुरार ग्वालियर (म. प्र.)	09-02-15	03/1937-अ
6	श्री प्रवीण सोलंकी आनन्द ट्रांसपोर्ट कंपनी 138 स्टेशन रोड रतलाम (म. प्र.).	20-06-14	17/2076-अ
7	श्री एहमद अली पिता याद अली नई आबादी सिंगरोली जिला नीमच (म. प्र.).	30-12-14	16/2310-अ
8	श्री मदनलाल आत्मज श्री सागरमल झेलावत महु नीमच रोड, कचनारा जिला-मंदसौर (म. प्र.)	31-12-14	16/2355-अ
9	श्री नितिन सिंह ई-8/50 आकाश गंगा कालोनी शाहपुरा भोपाल (म. प्र.)	24-05-14	28/2390-अ
10	श्री रूपम गुजेवार आत्मज श्री दिलीप गुजेवार 55 एम. जी. रोड देवास (म. प्र.)	17-12-14	20/2480-अ
11	श्री मदनलाल रघुवंशी ग्राम-हथवास, पो. पिपरिया जिला-होशंगाबाद (म. प्र.)	10-11-14	32/2495-अ
12	श्री ईश्वर सिंह पाटीदार, पाडल्यमाता (सारंगपुर) मेन रोड, पाडल्यमाता सारंगपुर, जिला-राजगढ़ (म. प्र.)	02-04-15	31/2546-अ
13	मेसर्स सिंह कन्स्ट्रक्शन कंपनी सुखेन्द्र सिंह बघेल, 1983 वर्मा डेरी के पास रामपुर, छापर, जबलपुर (म. प्र.)	03-03-15	33/2662-अ
14	पेट्रान इंजीनियरिंग कन्स्ट्रक्शन लिमि. स्वास्तिक चेम्बर्स सिआन, ट्राम्बे रोड, चेम्बुर मुम्बई (महाराष्ट्र)	14-11-14	US/2937-अ
15	श्री सुशील कुमार रघुवंशी आत्मज दिनेश सिंह रघुवंशी ग्राम-आनंदपुर पो. पचावली तहसील- कोलारस, जिला शिवपुरी (म. प्र.)	15-12-13	05/2944-अ
16	श्री स्वपन चटोपाध्याय आत्मज श्री के. पी. चटोपाध्याय क्वार्टर नम्बर 437 नेपियर टाउन जबलपुर (म. प्र.)	20-02-15	33/2966-अ

(1)	(2)	(3)	(4)
17	श्री जावेद अहमद सिद्दीकी आत्मज श्री शफीक अहमद सिद्दीकी मे. जे. पी. इलेक्ट्रिकल्स 126 चर्च के पीछे जहांगीराबाद भोपाल (म. प्र.)	23-04-14	28/3153-अ
18	श्री सुनील कुमार देसला आत्मज श्री जयंतीलाल देसला 27 सदर बाजार जोबट जिला अलीराजपुर (म. प्र.)	25-04-14	39/3158-अ
19	श्री महेश भार्गव ब्लाक कालोनी राधोगढ जिला-गुना (म. प्र.)	03-04-14	06/3195-अ
20	श्री हेमन्त जोशी ई.डब्ल्यू.एस.-366 ब्लाक नम्बर-8 सरस्वती नगर जवाहर चौक भोपाल (म. प्र.)	05-09-14	31/3207-अ
21	सैयद आरिफ हुसैन द्वारा लॉग पोल कान्ट्रेक्टर 163 अशोक बिहार नगर निगम कालोनी भोपाल (म. प्र.)	26-07-14	28/3210-अ
22	मेसर्स सिमेन्स लिमिटेड 254 धार रोड, इन्दौर (म. प्र.)	31-08-14	23/3243-अ
23	श्री आबिद अहमद आत्मज श्री रसीद अहमद पी-148/1, एम.ई.एस. कालोनी एस.आई. लाईन शाहजानाबाद भोपाल (म. प्र.)	07-10-14	28/3284-अ
24	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह मुख्या गंज रेल्वे स्टेशन के पास सतना (म. प्र.)	01-04-14	12/3433-अ
25	श्री उमेशप्रसाद पाठक मठकरी कालोनी गुना (म. प्र.)	15-06-14	06/3460-अ
26	श्री रामप्रकाश हाटरिया, शाप नम्बर 9 लक्ष्मी काम्पलेक्स गोहलपुर जबलपुर (म. प्र.)	28-08-14	33/3517-अ
27	मेसर्स चमन इलेक्ट्रिकल्स वार्ड नम्बर 9 शिव मंदिर के पास मण्डीदीप जिला-रायसेन (म. प्र.)	11-12-14	26/3526-अ
28	श्री विनय जैन आत्मज श्री पदमचन्द्र जैन द्वारा-भोला पंसारी 891, कुशवाहा गली, जौरा जिला-मुरैना.	24-08-14	01/3533-अ
29	श्री पंकज वर्मा एम.आई.जी.-2/33 विवेकानन्दपुरम् शिवपुरी म. प्र.	12-09-14	05/3534-अ
30	श्री कैलाश चन्द्र पांचाल आत्मज श्री रामनारायण पांचाल 28 हरिसिद्धि नगर मांगलिया जिला-इन्दौर (म. प्र.)	01-02-15	23/3535-अ
31	मेसर्स एक्स. एल. पावर प्रो. अनिल के गुप्ता प्लाट नम्बर-974/5 न्यू शास्त्री नगर, जबलपुर (म. प्र.)	08-12-14	33/3571-अ
32	श्री हरिशरण मिश्रा केयर आफ श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी बजरंग नगर उरहट रीवा (म. प्र.)	18-05-14	13/3611-अ
33	श्री मनोज कुमार शर्मा आत्मज श्री रामेश्वर शर्मा दयाल शर्मा फर्स्ट फ्लोर, फ्लैट नं. 20, ग्राम केलोदहाला, लसूडिया इंदौर.	05-07-14	23/3625-अ
34	श्री नीरज श्रीवास्तव मेसर्स बालाजी एसोसियट्स मोती बाबा मंदिर के पीछे फिजीकल रोड शिवपुरी (म. प्र.)	10-01-15	05/3656-अ
35	श्री इकबाल हुसैन जामा मस्जिद नई सड़क सदर बाजार गुना (म. प्र.)	05-02-15	06/3671-अ
36	श्री प्रेमनारायण भावसार आत्मज श्री नानूराम भावसार बी-100 गायत्रीनगर आगर रोड, उज्जैन (म. प्र.)	01-03-15	18/3673-अ
37	मेसर्स पंडित कन्सट्रक्शन एण्ड इले. इंजीनियर सर्विसस 393 न्यू कालोनी हरिपुरा विदिशा (म. प्र.)	07-05-14	27/3716-अ
38	श्री चेतन लोढा 28 रामबाग अर्चना आर.एस.एस. कार्यालय के पास इन्दौर (म. प्र.)	14-11-14	23/3765-अ
39	मेसर्स टी. एल.बी. इंजीनियरिंग वर्क्स जरोधी बदन जिला-सिंगरौली म. प्र.	19-12-14	15/3780-अ
40	तकनीकी कर्मचारी सहकारी साख संस्था मर्यादित 38 वेयर हाउस रोड, ओल्ड पावर हाउस कम्पाउण्ड इन्दौर (म. प्र.)	28-05-14	23/3796-अ



(1)	(2)	(3)	(4)
41	श्री राज राजेश्वर सिंह गौर ए-10 प्रियदर्शनी नगर सरकुलर रोड शिवपुरी (म. प्र.)	12-07-14	05/3800-अ
42	मेसर्स मंशा इले. एफ-एफ-9 फर्स्ट फ्लोर अलकनंदा काम्पलेक्स जोन-1 एम. पी. नगर भोपाल (म. प्र.)	15-01-14	28/3827-अ
43	श्री मुकेश नागर आत्मज श्री बाबुलाल ग्राम-उमरदा तहसील बमोरी जिला गुना (म. प्र.)	20-11-14	06/3846-अ
44	श्री हरिराम आत्मज श्री बंशीलाल लोधा-ग्राम-गोकुलपुरा पोस्ट लसूडिया जिला-झालावाड़ राजस्थान.	27-04-14	US/3900-अ
45	श्री ई.एण्ड.एम. इलेक्ट्रिकल साल्यूशन प्रा. लिमि. 355 सेक्टर 16 पोकेट बी द्वारका नई दिल्ली-78	23-12-14	US/3905-अ
46	श्री मुकेश कुमार शुक्ला 74 रिगल मोहनी अवधपुरी भोपाल (म. प्र.)	28-02-15	28/4137-अ
47	श्री संजय कुमार वर्मा आत्मज श्री रमेशचन्द्र वर्मा टिकुरिया टोला डाली बाबा रोड सतना (म. प्र.)	22-12-14	12/4143-अ
48	मेसर्स राजलक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन एम.आई.जी.-5 साड़ा कालोनी राधोगढ़ जिला गुना (म. प्र.)	29-09-14	06/4156-अ
49	मेसर्स ओम इंजीनियरिंग इन्टरप्राइजेस प्रो. जी. पी. शुक्ला डी.ए.बी. स्कूल रोड बैढन, जिला-सिंगरौली (म. प्र.)	31-08-14	15/4161-अ
50	श्री विकास लखेरा मारुती पावर सिस्टम एम.आई.जी.-37 दर्पण कालोनी ठाटीपुर ग्वालियर (म. प्र.)	19-06-14	03/4178-अ
51	मेसर्स मेडी इलेक्ट्रॉन कंपनी 2/2 सी साकेत नगर भोपाल (म. प्र.)	09-10-14	28/4188-अ
52	श्री गजराज सिंह राणावत आत्मज श्री सज्जन सिंह ग्राम-बटलावदी तहसील-खाचरौद जिला-उज्जैन (म. प्र.)	15-04-15	18/3939-अ
53	श्री शीलेन्द्र सिंह भदोरिया आत्मज श्री हरेन्द्र सिंह ग्राम-मानहड़ जिला भिण्ड (म. प्र.)	20-06-14	02/3949-अ
54	श्री शफीकुर रहमान आत्मज श्री अब्दुल अजीज 13-बी टाईप क्वार्टर शिवपुरी पोस्ट सिरगौरा तहसील-परासिया जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.)	21-11-14	36/3961-अ
55	मेसर्स मनीष इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकेनिकल वर्क्स जे. आर. बिरला रोड, श्रीराम मार्केट सतना (म. प्र.)	30-07-14	12/3964-अ
56	मेसर्स के.एम.जी. ए टू जेड सिस्टमस प्रा. लिमि. डन कालोनी बरंगवा कटनी (म. प्र.)	07-06-14	44/3991-अ
57	मेसर्स भगवती एसोसियट्स प्रो. श्री संजीव कुमार त्रिपाठी 758/बी-2 कैलाश बिहार सिटी सेन्टर ग्वालियर (म. प्र.)	03-04-15	03/3993-अ
58	श्री गिराज सिंह यादव आत्मज श्रीराम सिंह यादव ग्राम-अहीरखेड़ी पोस्ट डोंगर तहसील राधोगढ़ जिला-गुना.	30-09-14	06/3999-अ
59	श्री संजय सिंह चौहान ग्राम व पोस्ट बुधवारी जिला-सीधी (म. प्र.)	10-01-15	15/4001-अ
60	श्री पर्वत सिंह आत्मज श्री राजाराम ग्राम खान दौरापुर पोस्ट भवरा तहसील आष्टा जिला सीहोर (म. प्र.)	01-06-14	29/4077-अ
61	मेसर्स श्यामा ट्रेडर्स प्रो. वरूण खटीक कच्ची गली, करेरा जिला शिवपुरी (म. प्र.)	08-12-13	05/4229-अ
62	श्री अजय कुमार सिंह निवासी जमुना कालरी जिला अनुपपुर (म. प्र.)	26-03-14	47/4237-अ
63	मेसर्स एन.के.आर.प्रोजेक्ट्स प्रो. एन. करूणाकर रेडडी 1-2-29-ए-13-1 उर्दु स्कूल के सामने, हैदरनगर कुकटपल्ली हैदराबाद (आ. प्र.)	01-03-15	US/4254-अ
64	श्री बी. के. मिश्रा मेसर्स बी.के. मिश्रा 1100/15 सत्यानन्द विहार रामपुर जबलपुर (म. प्र.)	31-01-15	33/4264-अ
65	श्री रफीक खान आत्मज श्री नबीखान मकान नंबर 322 आरा मशीन के पास अहमदपुर तहसील श्यामपुर जिला-सीहोर (म. प्र.)	09-12-14	29/4268-अ
66	श्री योगेश कुमार राणा आत्मज श्री यशपाल सिंह राणा 08 जगदेवगंज आंजना भवन स्टेशन रोड आलोट जिला-रतलाम (म. प्र.)	31-10-14	17/4276-अ

(1)	(2)	(3)	(4)
67	श्री सचिन डाबर आत्मज श्री एस. के. डाबर प्रो. स्वास्तिक मेकेनिकल वर्कशाप सावेर रोड उज्जैन (म. प्र.)	01-06-14	18/4284-अ
68	श्री व्ही. के. ज्योतिषी 1297 दयानगर यादव कालोनी जबलपुर (म. प्र.)	01-08-14	33/4285-अ
69	श्री एम.एल. केथुनिया 49-02 बी साकेत नगर भोपाल (म. प्र.)	23-12-14	28/4288-अ
70	मेसर्स गुडविल एसोसियट्स 60 जोन-1 एम. पी. नगर भोपाल (म. प्र.)	30-11-14	28/4291-अ
71	मेसर्स श्री साई कन्स्ट्रक्शन प्रो. श्री किशोर कुमार कछावा "13 मानसरोवर" श्री कृष्ण टाकीज के पीछे काटजू नगर रतलाम.	25-12-14	17/4295-अ
72	मेसर्स आफशौर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मकान नंबर अ-79 बी 183 फेज-2 गेल काम्पलेक्स विजयपुर राधोगढ़ जिला गुना.	25-02-15	06/4298-अ
73	श्री शैलेन्द्र शर्मा आत्मज श्री ओमप्रकाश शर्मा 305 सी एम. आर. पाईन्ट 101 तिलक पथ नारायण बाग इन्दौर (म. प्र.).	08-03-15	23/4308-अ
74	श्री किशोर पाटीदार आत्मज श्री भंवरलाल पाटीदार 293 परिवहन नगर हवा बंगले के पास इन्दौर (म. प्र.).	22-05-14	23/4309-अ
75	श्री सचिन शर्मा ग्राम बहिवार पोस्ट देवास तहसील सिरमौर जिला रीवा (म. प्र.).	पर्यवेक्षक अक्टूबर 14 निधन	13/4310-अ
76	मेसर्स अनिल इन्फा डेवलपर कंपनी प्रो. अश्वनी कुमार ए-104 जीवन आनन्द सोसायटी त्रिलंगा भोपाल (म. प्र.).	04-04-14	28/4322-अ
77	श्री विनोद कुमार मारू, 220 उषा नगर एक्स 201 सूर्या अपार्टमेंट इन्दौर (म. प्र.).	09-04-14	23/4324-अ
78	श्री अतुल बिल्लौरि आत्मज श्री राधेश्याम बिल्लौरि ई-3/13 जूनियर एम.आई.जी. अरेरा कालोनी भोपाल (म. प्र.)	04-04-15	28/4340-अ
79	मेसर्स अम्बिका इन्टरप्राइजेस प्रो. विकास श्रीवास्तव गोन्दिपुरा भोपाल (म. प्र.).	11-04-14	28/4341-अ
80	श्रीमती करुणा शुक्ला मकान नंबर एफ.एफ.टी. 203 ताज एनेक्स मोहल्ला नाथ सिविल लाईन जबलपुर (म. प्र.).	22-01-15	33/4342-अ
81	श्री हर्ष कुमार कोरी आत्मज श्री दुर्गा प्रसाद कोरी नेहा नगर जैन मंदिर के पास मकरोनिया सागर (म. प्र.).	31-12-14	09/4343-अ
82	श्री के. के. रघुवंशी छाबड़ा कालोनी गुना (म. प्र.)	15-03-15	06/4347-अ
83	श्री रामचन्द्र महेश्वरी 471 बिरजीस नगर इछावर सिहोर (म. प्र.)	30-04-14	29/4348-अ
84	मेसर्स चन्द्रा देवबिल्ड प्रा. लिमि. 109 कल्पना नगर रायसेन रोड भोपाल (म. प्र.).	25-04-14	28/4349-अ
85	श्री भूपेन्द्र शर्मा आत्मज श्री कृष्ण वल्लभ शर्मा कंकाली चौक बड़ोद जिला शाजापुर (म. प्र.).	25-12-14	30/4365-अ
86	श्री सौजान्य नामदेव कछवाड़ा डिप्टी रेंजर के सामने सरदार पटेल वार्ड लालीपुर मण्डला (म. प्र.).	19-05-14	45/4369-अ
87	श्री रामकेत शाह मेसर्स रवीन्द्र लाइट एण्ड इंजीनियरिंग वर्क्स मेन रोड बिलौची बैदन जिला सिंगरौली (म. प्र.).	20-05-14	15/4372-अ

(1)	(2)	(3)	(4)
88	श्री अजय सिंह भदौरिया 14 नेहरू नगर ग्राम अकोड़ा जिला भिण्ड (म. प्र.).	14-07-14	02/4377-अ
89	श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत आत्मज श्री शिवपाल सिंह राजपूत वार्ड क्र.-02 गणेश कालोनी बरेली जिला रायसेन (म. प्र.).	08-05-14	26/4384-अ
90	श्री सौरभ कुमार आत्मज दिनेश चन्द्र 43/02 रविशंकर नगर उज्जैन (म. प्र.).	16-11-14	18/4385-अ
91	श्री फरीद अहमद आत्मज मखदूम अहमद सेबरान इन्फ्रास्ट्रक्चर्स 6, विश्वविद्यालय मार्ग उज्जैन (म. प्र.).	30-04-14	18/4386-अ
92	मेसर्स रूद कंन्सट्रक्शन प्रो. धीरेन्द्र चौबे सी-4/17 ऋषि नगर उज्जैन (म. प्र.).	10-01-15	18/4389-अ
93	श्री अनिल गौर आत्मज श्री शंकरलाल गौर ग्राम-दीपगांव खुर्द तहसील सिराली जिला हरदा (म. प्र.).	11-05-14	42/4391-अ
94	श्री रितेश चौरे हरी कालोनी न्यू गणेश नगर कालोनी मालवीय गंज इटारसी जिला होशंगाबाद (म. प्र.).	28-05-14	32/4392-अ
95	श्री पी. एन. गुप्ता 432/9 बी साकेत नगर भोपाल (म. प्र.)	21-08-14	28/4397-अ
96	श्री नरेन्द्र विश्वकर्मा पीतल फैक्ट्री भोपाल रोड सागर (म. प्र.)	09-05-14	09/4404-अ
97	श्री मन्नान खान गली नंबर-7, मकान नंबर 9 अहमद अली कालोनी ऐशबाग भोपाल (म. प्र.).	18-02-15	28/4407-अ
98	श्री रामकुण्डल सिंह यादव ग्राम-मुरगुवां जिला दतिया (म. प्र.)	11-07-14	07/4410-अ
99	मेसर्स स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर लिमिटेड 92 ए इण्डस्ट्रीयल एरिया गोविन्दपुरा भोपाल (म. प्र.).	09-07-14	28/4411-अ
100	मेसर्स एनर्जी ग्रीन प्रो. श्री नरेन्द्र ठाकरे प्लाट नंबर 79 नरेला शंकरी भोपाल (म. प्र.).	20-06-14	28/4413-अ
101	मेसर्स शाईना इन्टरप्राइजेस 9 विशाल सेन्टर हमीदिया रोड भोपाल (म. प्र.)	02-07-14	28/4416-अ
102	मे. एस्टर प्रा. लि. ई-67, 4 <sup>th</sup> क्रिसेन्ट रोड, सैनिकपुरी, सिकन्दराबाद (आन्ध्रप्रदेश).	31-12-14	US/4425-अ
103	श्री विजेन्द्र सिंह दिरवीत आत्मज नरेन्द्र सिंह दिरवीत 222 ग्राम सुमराखेड़ा तहसील तराना जिला उज्जैन (म. प्र.).	04-08-14	18/4426-अ
104	मेसर्स डिजीटल पावर इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमि. सी-119 सेक्टर 65 नोयडा (उ. प्र.).	31-10-14	US/4431-अ
105	एराइफ्रा इंजिनियरिंग लिमिटेड 370, 371/02 साही हास्पिटल रोड जनापुरा सोगल न्यू दिल्ली 110014.	04-08-14	US/4440-अ
106	ए. एम. आर. इंडिया लिमिटेड प्लाट नंबर 88 सारिकोण्डा मानशन कमलापुरी कालोनी हैदराबाद.	14-08-14	US/4441-अ
107	मेसर्स जी.ई.टी. पावर लिमिटेड टेप्रो टावर प्लाट नंबर 11-ए. 17, 5, क्रास रोड सिपकोट आई. टी. पार्क सिरूसिरी चैन्नई.	20-08-14	US/4445-अ
108	मेसर्स डेकोलाईट इण्डस्ट्रीज 73 पोलोग्राउण्ड इन्दौर तहसील व जिला इन्दौर (म. प्र.).	18-08-14	23/4449-अ
109	श्री कैलाश फूलवानी एफ-10, नियर भगवान कला केन्द्र बैरागढ़ भोपाल (म. प्र.).	10-09-14	28/4451-अ
110	मेसर्स प्राइमवन वर्क फोर्स प्रा. लि. मि. आर-47 जोन-2 एम. पी. नगर भोपाल (म. प्र.).	31-07-14	28/4456-अ

(1)	(2)	(3)	(4)
111	श्री मुकेश नागर ग्राम-तरेनी धाकड़ तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ (म. प्र.).	30-6-14	31/4461-अ
112	श्री राजकुमार सिंह यादव ग्राम पोस्ट गहौरा तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर (म. प्र.).	31-08-14	19-4472-अ
113	श्री नवल सिंह गुर्जर आत्मज रामपाल गुर्जर 24 ग्राम बड़बेली तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ (म. प्र.).	23-04-14	31/4475-अ
114	मेसर्स सखी इन्टरप्राइजेस प्रो. श्री महेश नाईक ग्राम-तिंगाव तहसील पांडुर्णा जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	15-08-14	36/4478-अ
115	श्री धन्नजय आत्मज श्री छन्नुलाल मांझी 136 सरदार पटेल वार्ड बुधनी जिला-सीहोर (म. प्र.).	01-06-14	29/4479-अ
116	श्री राजेश कुमार राठौर आत्मज भवरलाल राठौर ग्राम पोस्ट नांदनी जीरापुर जिला राजगढ़ (म. प्र.).	09-09-14	31/4480-अ
117	मेसर्स राय सिविल कन्सट्रक्शन एण्ड एसोसियेट्स इब्राहीम गंज मेन रोड नियर हमीदिया रोड भोपाल (म. प्र.).	12-10-14	28/4488-अ
118	मेसर्स गजानन्द मेन्टेनेन्स एण्ड इले. सर्विसेज 58 खरचूनी तहसील हुजूर जिला भोपाल (म. प्र.).	30-09-14	28/4492-अ
119	श्री भूपेन्द्र सिंह आत्मज श्री राजबहादुर सिंह 43 रिवरव्यू कालोनी कापली रोड, मुरार ग्वालियर (म. प्र.).	25-12-14	03/4498-अ
120	श्री प्रणेश मुले आत्मज श्री ए. एम. मुले मकान नंबर 808 कमला नेहरू वार्ड स्नेहनगर जबलपुर (म. प्र.).	09-09-14	33/4499-अ
121	श्री कल्याण धाकड़ विवेकानन्द कालोनी शिवपुरी (म. प्र.)	23-10-14	05/4502-अ
122	श्री देवराज शर्मा प्रो. देव कन्सट्रक्शन एण्ड इलेक्ट्रिकल्स विजयवर्गीय गली बड़ा बाजार नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़.	14-11-14	31/4506-अ
123	मेसर्स अनित. इलेक्ट्रिक एण्ड इलेक्ट्रानिक्स प्रो. श्री नीरज जगदीश लाल विश्वकर्मा 24 सीताबाग कालोनी धेनू मार्केट इन्दौर (म. प्र.).	12-07-14	23/4508-अ
124	श्री प्रमोद आमौदे आत्मज श्री वामनराव आमौदे 137 महादेव मंदिर गली वार्ड 3 शाहपुर जिला बुरहानपुर (म. प्र.).	30-11-14	41/4512-अ
125	मेसर्स अरूण कन्सट्रक्शन प्रो. अरूण कुमार सिंह वार्ड नंबर-04 चोरहटा जिला रीवा (म. प्र.).	10-10-14	13/4514-अ
126	मेसर्स चन्दानी कन्सट्रक्शन कंपनी प्रो. श्री बी. एम. चन्दानी 42 पी. एन. बी. कालोनी ईदगाह हिल्स भोपाल (म. प्र.).	16-12-14	28/4515-अ
127	मेसर्स एलाईट पावर टेक प्रा. लिमिटेड 144/5 ज्ञानखण्ड-IV इंदिरापुरम गाजियाबाद (म. प्र.).	24-12-14	US/4522-अ
128	श्री प्रमोद पारले आत्मज श्री हदरास पारले गेडें वाली सड़क लश्कर ग्वालियर (म. प्र.).	17-12-14	03/4526-अ
129	श्री कपिल सिंह सिसौदिया आत्मज श्री चेतन सिंह सिसौदिया 9 रविन्द्र नगर उज्जैन (म. प्र.).	28-10-14	18/4529-अ
130	श्री नवनीतराम पटेल आत्मज श्री परमसुख ग्राम-मुछेल पोस्ट मानपुर, जिला रायसेन (म. प्र.).	13-11-14	26/4530-अ

(1)	(2)	(3)	(4)
131	मेसर्स नीलकंठ इन्टरप्राइजेस 17-18 बी सेक्टर विद्यानगर होशंगाबाद रोड भोपाल (म. प्र.).	21-11-14	28/4533-अ
132	श्री अतुल ठाकरे आत्मज श्री वासुदेव ठाकरे ग्राम-बिसनुर तहसील मुलताई, जिला बैतूल (म. प्र.).	04-07-14	34/4535-अ
133	श्री दितेन्द्र शर्मा आत्मज श्री कृष्ण शर्मा तहसील आरोन जिला गुना (म. प्र.).	20-11-14	06/4539-अ
134	श्री नरेश कुमार पटेल आत्मज श्री गोपाल सिंह पटेल ग्राम पोस्ट खेरूआ जिला नरसिंहपुर (म. प्र.).	10-02-15	35/4546-अ
135	मेसर्स हिन्दुस्तान इलेक्ट्रिकल मकान नंबर 3 गली नंबर 2 दुर्गा मंदिर रेजीमेन्ट रोड भोपाल (म. प्र.).	24-12-14	28/4547-अ
136	मेसर्स निविक कन्सट्रक्शन टी-4 आर-44 किशन आर्केड एम. पी. नगर जोन-I भोपाल (म. प्र.).	02-02-15	28/4556-अ
137	श्री लक्ष्मण सोनगरा प्रो. कंचन क्रियेशन लिमिटेड 30 जेल रोड इन्दौर (म. प्र.).	31-03-15	23/4558-अ
138	श्री सोनू मालवीय आत्मज श्री मूलचन्द मालवीय 22 ग्राम रातातलाई सलामतपुरा जिला रायसेन (म. प्र.).	15-12-14	26/4561-अ
139	श्री कमलेश मिश्रा आत्मज श्री सखेन्द्र प्रसाद मिश्रा मकान नंबर 4/71 जिवला तहसील रामपुर कर्चुलियान जिला रीवा.	31-03-15	13/4583-अ
140	श्री देवकीनंदन राठौर आत्मज श्री अमर सिंह राठौर ग्राम ब्रिजिसनगर तहसील इछावर जिला सीहोर (म. प्र.).	02-02-15	29/4586-अ
141	श्री अभिनव गर्ग, शशिकला कुंज हाउसिंग बोर्ड कालोनी बोदाबाग रीवा (म. प्र.).	15-02-15	13/4598-अ
142	मेसर्स शान्ति कन्सट्रक्शन कंपनी 12/671 बजरंग नगर रीवा (म. प्र.)	15-02-15	13/4599-अ
143	श्री रामजीवन किरार आत्मज श्री रघुवीर सिंह किरार ग्राम चौड़ाखेड़ी तहसील राधौगढ़ जिला गुना (म. प्र.).	15-02-15	06/4603-अ
144	श्री शिवनारायण पुष्पद आत्मज श्री घीसालाल पुष्पद ग्राम पोस्ट करेरी जिला राजगढ़ (म. प्र.).	16-02-15	31/4623-अ
145	मेसर्स जी. के. इलेक्ट्रिकल्स 6-ए. एफ. सेक्टर इण्डस्ट्रीयल एरिया गोविन्दपुरा भोपाल (म. प्र.).	08-03-15	28/4625-अ
146	मेसर्स मां पिताम्बरा इन्टरप्राइजेस प्रो. श्री बीरसिंह आत्मज श्री बाबूलाल यादव एम. डी. 18 कर्णकुन्ज कालोनी झांसी रोड, दतिया (म. प्र.).	20-02-15	07/4630-अ
147	मेसर्स एस. कुमार एफ 1/12 शालीमार गार्डन सर्वधर्म कोलार रोड भोपाल (म. प्र.).	09-01-15	28/4631-अ
148	मेसर्स सेल साइड इंजीनियरिंग प्रा. लिमि. 105/11 सेकण्ड फ्लोर यशवन्त प्लाजा इन्दौर (म. प्र.).	05-02-15	23/4636-अ
149	श्री सुभाषचन्द्र आत्मज श्री अमरसिंह एम. आई. जी. 52 श्री रामेश्वरम् डीलक्स बाग मुगालिया अरविन्द बिहार भोपाल (म. प्र.).	28-02-15	28/4642-अ
150	श्री महेन्द्र सिंह दांगी ग्राम-बवचिया तहसील बैरसिया भोपाल (म. प्र.)	02-02-15	28/4646-अ

(1)	(2)	(3)	(4)
151	मेसर्स सुपर पवैया इंजीनियरिंग वर्क्स प्रो. श्री सुरेश चन्द्र जैन हनुमान नगर गली नंबर 2 गोले का मंदिर ग्वालियर (म. प्र.).	23-03-15	03/4659-अ
152	मेसर्स न्यूक्लियस इंजीनियरिंग कार्पोरेशन ई-7/11 व्यंकटेश नगर नंदन वन नागपुर (महाराष्ट्र).	05-04-15	US/4667-अ
153	श्री बृजमोहन शर्मा आत्मज श्री एम. एल. शर्मा 3-सी सेक्टर सोनागिरी भोपाल (म. प्र.).	06-12-14	28/4668-अ
154	श्री रितेश सौलिया आत्मज श्री महेश सोलिया, जय दुर्गा ट्रेडर्स 108 जवाहर मार्ग काजू विकास रोड अलीराजपुर (म. प्र.).	17-02-15	39/4677-अ
155	मेसर्स श्याम इन्टरप्राइजेस 203 वैशाली नगर तहसील व जिला जयपुर (राजस्थान).	03-12-14	US/4684-अ
156	श्री अमित तिवारी 22/194 अहमिया रीवा (म. प्र.)	31-05-14	13/4691-अ
157	मीनल चौपड़ा मेसर्स हाईटेक इंजीनियर गायत्री मंदिर रोड सिंगरौली (म. प्र.).	11-11-14	13/4692-अ
158	श्री संजय शर्मा अटेर रोड भिण्ड (म. प्र.)	06-04-15	02/4703-अ
159	मेसर्स गेपडेक इन्फ्राटेक लिमिटेड एल. सी. एफ. टावर बी-बी-09-ए ग्रीन बाडल वार्ड सेक्टर 62 नोयडा (उ. प्र.).	09-04-15	US/4727-अ
160	मेसर्स अमित कन्सट्रक्शन कंपनी प्रो. अमित तिवारी 22/194 अमहिया रीवा (म. प्र.).	11-04-15	13/4729-अ
161	मेसर्स ई. सी. ई. इण्डस्ट्रीज लिमिटेड 27 सेक्टर 9-बी साकेत नगर, भोपाल (म. प्र.).	15-01-15	28/4733-अ
162	मेसर्स एस. के. इन्टरप्राइजेस 410 पल्लहर नगर इन्दौर (म. प्र.)	05-09-14	23/4735-अ
163	मेसर्स अंकुर इन्फ्राबिल्ड प्रा. लिमि. प्लॉट नंबर 5 जनता कॉलेज के पास अनन्तपुर रीवा (म. प्र.).	30-11-14	13/4739-अ
164	मेसर्स परफेक्ट इंजीनियरिंग व्हाइट हाउस दादामियां कम्पाउण्ड अहमद पैलेस रोड कोहेफिजा भोपाल (म. प्र.).	16-02-15	28/4815-अ
165	श्री जिज्ञान हुसैन आत्मज स्व. वासिक हुसैन मकान नंबर 11 गली जोगीपुरा बुधवारा भोपाल (म. प्र.).	07-04-15	28/4850-अ
166	मेसर्स किनटेक सिनर्जी प्रा. लिमि. किनहेक हाउस 8-9 शिवालिक प्लाजा अपोजिट AMA, IIM रोड अम्बावाड़ी अहमदाबाद 380015 (गुजरात).	05-11-14	US/4898-अ
166	श्री पुरूषोत्तमराव, 2 नंबर केम्प कोतमा कालरी जिला अनूपपुर (म. प्र.)	08-06-14	47/4523-अ

### 30-06-2015 तक नवीनीकरण न कराने के कारण निरस्त अनुज्ञप्तियों की सूची

क्र. (1)	विद्युत् ठेकेदार का नाम/पता (2)	अनुज्ञप्ति क्र. (3)
1	श्री आर. एल. पालीवाल, होशंगाबाद रोड पिपरिया, जिला होशंगाबाद (म. प्र.)	55-A
2	श्री घनश्याम दास मंत्री, 352-ए. डी. स्कीम नं. 74-सी, इन्दौर-452010 (म. प्र.)	85-A
3	श्री महेश चन्द्र श्री वारचंद, 6-विक्रम मार्ग, कोकर, रीवा (म. प्र.)	129-A

(1)	(2)	(3)
4	श्री प्रेम कुमार स्वामी, 241 लोहिया वार्ड, गोदिया पिन कोड-441614 जिला-भण्डारा (महाराष्ट्र).	136-A
5	श्री मिलन कु. मुखर्जी, पुष्पराज होटल के पीछे घोघर, रीवा (म. प्र.)	185-A
6	श्री अब्दुल सईद, म. नं. 2, जिन्सी पो. आ. के पास, भोपाल (म. प्र.)	193-A
7	श्री प्रदीप शंकर भट्ट, राधा बल्लभ वार्ड, गाडरवारा (म. प्र.)	209-A
8	श्री जगदीश चन्द्र शर्मा, (C/o) जगदीश इले. सदर बाजार, मन्दसौर (म. प्र.)	234-A
9	श्री मेसर्स एम एण्ड बी स्विच गियर 2-डी/2, सावनेर रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया, इन्दौर (म. प्र.)	235-A
10	श्री हनुमान प्रसाद खरे, 525 हनुमान ताल, जबलपुर (म. प्र.)	289-A
11	श्री नरेश कुमार सक्लेचा, 39/ए भवानीपुर कालोनी, अन्नपूर्णा मंदिर के पास, इन्दौर (म. प्र.)	302-A
12	श्री अनिल कुमार, 190 तिलक नगर (एक्सेशन) इन्दौर (म. प्र.)	351-A
13	श्री भूपेन्द्र कुमार पटेल प्रो. पटेल इंजी. सनावद पश्चिम निमाड़ खरगोन (म. प्र.)	402-A
14	मेसर्स एशिया ब्राउन ब्रावरी लिमिटेड प्रोजेक्ट इंजी. डिवीजन, 38 अल्कापुरी, बड़ौदा	628-A
15	श्री पी. एन. गुप्ता, मेसर्स विश्वभारती इन्टरप्राइजेज जे-450 दर्पण कालोनी, थाटीपुर, मुरार ग्वालियर (म. प्र.).	648-A
16	श्री धनश्याम दास अग्रवाल, पो. जैतहरी जिला-शहडोल (म. प्र.)	843-A
17	श्री मदन कान्ट्रक्टर्स एण्ड कं. पीस लाईब्रेरी के सामने, टाउन हाल रोड, मुजफरनगर (यू. पी.).	1020-A
18	श्री टी. एस. अंकलेसरिया, प्रो. जी. डी. अंकलेसरिया एण्ड कंपनी न्यू रोड, दोबती पो. बा. नं. 1, रतलाम (म. प्र.).	17/1259-A
19	श्रीमती शीला दत्ता, मेसर्स दत्ता इन्टरप्राइजेस, कोठी बाजार, होशंगाबाद (म. प्र.)	32/1288-A
20	मेसर्स मेरिकान टेक्नीकल सर्विसेज सी-153, कोहेफिजा, बी. डी. ए. कालोनी भोपाल (म. प्र.)	28/1295-A
21	श्री सुभाष चन्द्र सक्सेना, 307 अखिलया अपार्टमेंटर्स, नेपियर टाउन जबलपुर (म. प्र.)	33/1309-A
22	श्री अभिलेख दुबे आ. श्री अशोक दुबे यादव होटल के पीछे, बिझिया, पो. मण्डला जिला मण्डला.	33/2183-A
23	मेसर्स एसोसिएटेड इले. कन्स्ट्रक्शन (1963) प्रायवेट लिमिटेड, 14 विपिन विहारी गांगुली स्ट्रीट कलकत्ता.	X/1347-A
24	श्री गोविन्द प्रसाद सैनी द्वारा आर. आर. मशीनरी, पथरिया रोड गढ़ाकोटा जिला-सागर	10/1652-A
25	श्री राजेश गुप्ता प्रो. अदिति इले. 105, ए. पी. आर. कालोनी कटंगा, जबलपुर (म. प्र.)	33/1653-A
26	श्री प्रदीप तिवारी आ. श्री ईश्वरी प्रसाद विद्युत भवन, बी. एड. कालेज के सामने छत्रसाल चौराहा, छतरपुर (म. प्र.)	18/1699-A
27	श्री किशनलाल वर्मा, द्वारा विजय बहादुर गुप्ता, फोरेस्ट क्वाटर्स के पीछे 172, श्रीराम कालोनी नागदा, जिला उज्जैन (म. प्र.)	08/1694-A
28	जी. ई. आई. इण्डस्ट्रीयल सिस्टम लिमिटेड 26-ए, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल (म. प्र.).	28/2214-A
29	श्री विशाल मित्तल द्वारा श्री बसंत मित्तल सरस्वती नगर, तलैया, विदिशा (म. प्र.)	27/2237-A
30	श्री डी. एन. पालीवाल आ. श्री बी. एम. पालीवाल गीता टाकीज रोड, श्रीराम कालोनी डबरा, जिला ग्वालियर (म. प्र.)	03/2244-A

(1)	(2)	(3)
31	श्री विजय कुमार देशमुख आ. श्री विनायक राव जी द्वारा एस. डी. इन्टीग्रेटेड मार्केटिंग सर्विसेज 203 रेसीडेन्सी शेल्टर, 32/33 चन्द्रलोक कालोनी, इन्दौर (म. प्र.).	23/2285-A
32	श्री विजय गुप्ता, मेसर्स पूजा ट्रेडर्स, शाहपुर जिला-बैतूल (म. प्र.)	34/2287-A
33	बी. एन. एस. कंस्ट्रक्शन, प्रो. महेन्द्र प्रताप सिंह एम. आई. जी. डी. एक्स बी-153, अमरावती साऊथ, बागसेवनिया, भोपाल (म. प्र.).	28/2336-A
34	श्री एम. एम. खान आ. मोहम्मद शकूर खान, धनलक्ष्मी इलेक्ट्रिकल वर्क्स सेक्टर-1, सी-12 एन फूटी कोठी, इन्दौर (म. प्र.).	23/2361-A
35	श्री अंशुल श्रीवास्तव, प्रो. कृष्ण इले. रमजान का बगीचा, ए. बी. रोड, गुना (म. प्र.)	06/2814-A
36	श्री प्रशांत राजवैद्य, फेस-1 चंदन नगर, रसुलिया होशंगाबाद (म. प्र.)	32/2991-A
37	मेसर्स ए. आर. के. विद्युत् ऊर्जा लिमिटेड, 153 ओख्ला इण्डस्ट्रीयल एस्टेट फेस-2, नई दिल्ली-110020.	US/3003-A
38	श्री राजीव कुमार यादव आ. श्री श्याम सिंह यादव वार्ड क्र. 6 गोरमी, जिला भिण्ड (म. प्र.)	02/3033-A
39	श्री राधे श्याम मालवीय, एम 68, ए. वीणा नगर, इन्दौर	23/3055-A
40	मेसर्स मण्डवरा कंस्ट्रक्शन, द्वारा श्री कन्हैयालाल आ. श्री निरंजन लाल, गायत्री मंदिर रोड, मनासा जिला नीमच (म. प्र.).	21/3065-A
41	श्री उमेश भावसार आ. श्री कैलाश चन्द्र 191, राजाराम नगर, देवास (म. प्र.).	20/3073-A
42	श्री राजू तोमर आ. श्री जगन्नाथ, म. नं. 123 वार्ड नं. 2 खडियापुरा मण्डीदीप जिला-रायसेन (म. प्र.).	26/3079-A
43	मेसर्स एस ई डब्ल्यू इफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 6-3-871 स्नेहलता, ग्रीन लेण्डस रोड बेगमपेट हैदराबाद-500016.	US/3100-A
44	श्री रमेश सिंह प्रो. अमन इन्टरप्राइजेस, शास्त्री चौक, सतना (म. प्र.) 485001	12/3104-A
45	श्री रहीस अहमद आ. श्री बशीर अहमद विदिशा रोड, अशोकनगर (म. प्र.)	19/3105-A
46	मेसर्स सोना इंजीनियरिंग इक्युपमेन्ट मेन्यु कं. लि. कोसमी औद्योगिक क्षेत्र, बैतूल (म. प्र.)	34/3124-A
47	श्री श्याम कंजानी, प्रो. शिवा कंस्ट्रक्शन्स, म. नं. 11 रिज रोड, ईदगाह हिल्स, भोपाल (म. प्र.)	28/3133-A
48	श्री सुरेश कुमार राजवानी, नर्मदा नगर, आशियाना रेस्टोरेंट के पीछे, आई.टी.आई. रोड, होशंगाबाद (म. प्र.)	32/3215-A
49	मेसर्स स्टार इंजीनियर्स गली नं. 2 आजाद नगर, मुरार प्रेम भवन के सामने, ग्वालियर (म. प्र.)	03/3950-A
50	मेसर्स गौतम इंजीनियरिंग कंपनी, प्रो. उमाकांत गौतम शारदा कालोनी, कटनी रोड, मैहर, जिला-सतना (म. प्र.)	12/3953-A
51	मेसर्स सरकार कंस्ट्रक्शन वर्क्स वार्ड क्र. 9 निपानिया, रीवा (म. प्र.)	13/3954-A
52	मेसर्स पुष्पेन्द्र इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकेनिकल वर्क्स इनकार टाकिज रोड, मुख्तियार गंज, सतना (म. प्र.)	12/3956-A
53	श्री आलोक परसाई, गौर कालोनी, मालाखेड़ी, होशंगाबाद (म. प्र.)	32/3986-A
54	श्री इन्द्रजित मेहता कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. 3-4 नवेरी पहाड़ी, 21 के ओ आर गांधी नगर, बैरागढ़, भोपाल (म. प्र.)	28/3994-A
55	मेसर्स इलेक्ट्रो पावर साल्यूशनस, 25 रानीबाग देवास (म. प्र.)	20/4002-A
56	श्री पी. के. सोलोमन, एम.आई.जी. 222 भरहुत नगर, सतना (म. प्र.)	12/4009-A
57	श्री अब्दुल सलीम खान, 313 चम्बल सागर कालोनी नागदा, जिला-उज्जैन (म. प्र.)	18/4013-A
58	श्री मनुशरत तिवारी, मनुकल्प 123 रामेश्वर निलय, नेपियर टाउन, जबलपुर (म. प्र.)	33/4014-A



(1)	(2)	(3)
59	श्री महेश कुमार यादव, मां शारदा काम्पलेक्स, रीवा रोड, सतना (म. प्र.)	12/4017
60	श्री मो. जाहिद इकबाल आ. श्री अब्दुल हमीद खान निवासी 581, आजाद नगर, मेन रोड, इन्दौर (म. प्र.)	23/4022
61	श्री अरविन्द सिंह शिकरवार आ. श्री उदय सिंह शिकरवार, इमली चौक, पोरसा, जिला मुरैना (म. प्र.)	01/4035
62	मेसर्स आराध्या इन्फ्रापावर म. नं. 105, सुरभी मोहिनी होम्स बरखेड़ा पठानी, भोपाल (म. प्र.)	28/4051
63	श्री शिरीब अजय रजलीवाल 45/ए, लक्ष्मीपुरी कालोनी, संगम नगर के पास, इन्दौर (म. प्र.)	23/4057
64	श्री प्रहलाद प्रसाद शाह मां. दुर्गा इलेक्ट्रिकल्स विलोजी, बैढन जिला सिंगरौली (म. प्र.)	15/4061
65	श्री सुमन्त राजसिंह आ. श्री राजबहादुर सिंह बघेल निवासी 2514-ई मोहल्ला, सुदामा नगर तह. व जिला इन्दौर (म. प्र.)	23/4062
66	श्री विष्णु राव खांडेकर आ. श्री सदाशिव राव खांडेकर मं. नं. 263, नजूल कालोनी, गुना (म. प्र.)	06/4064
67	सिंह इंटरप्राइजस, प्रो. ज्ञानेन्द्र सिंह, पेप्सी गोदाम के पास, चौहान नगर, पतेरी पो. महादेव जिला सतना (म. प्र.)	12/4065
68	श्री नवनीत साहू आ. श्री रामेश्वर प्रसाद साहू, 103 भुतेश्वर मार्ग नं. 2, संत रविदास वार्ड, सागर (म. प्र.)	09/4075
69	श्री अखिलेश श्रीवास्तव आ. श्रीराम श्रीवास्तव एल. आई. जी. सी-12/44, ऋषि नगर, उज्जैन (म. प्र.)	18/4085
70	श्री बलवंत सिंह सोलंकी, 381 ग्राम घुलकोर जिला खरगोन (म. प्र.)	24/4086
71	मेसर्स सत्या पावर कंस्ट्रक्शन, 112, गोकुल नगर, जिला खरगोन (म. प्र.)	24/4087
72	मेसर्स परशुराम मेगा बिल्डिंग प्रा. लि. ए. डी. 50, अभिरूचि परिसर भोपाल (म. प्र.)	28/4090
73	मेसर्स आंख कन्स्ट्रक्शन प्रो. आशुतोष अग्रवाल शाप नं. 7, गोपाल आरकेड, गोपाल बाग चेरिताल, जबलपुर (म. प्र.)	33/4095
74	श्री व्ही. बी. एण्ड संस प्रो. राकेश सच्चर, विद्यानगर, मगरूल रोड, खरगोन (म. प्र.)	24/4099
75	मेसर्स वर्षित सी. एस. सी. इंजीनियर्स, 338, डी. के.-1 स्कीम नं. 74-सी, इन्दौर (म. प्र.)	23/4101
76	आदर्श इलेक्ट्रिकल्स वर्क्स रीजनल हास्पिटल के पास धनपुरी जिला शहडोल (म. प्र.)	14/4121
77	श्री श्रीचंद यदंशुशी, न्यूटन चिखली, वार्ड नं. 2, तह. परासिया जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.)	36/4122
78	श्री रमेश यादव आ. श्री गुरुदीन यादव, 117/1 रूपराम नग, इन्दौर (म. प्र.)	23/4124
79	श्री शिवनारायण पटेल, आ. श्री कालूराम पटेल, 25/26 संतोष नगर, खण्डवा (म. प्र.)	25/3560-A
80	मेसर्स हिमांशु ट्रेडिंग, बी-43 अलकापुरी भोपाल (म. प्र.) 462024	28/3621-A
81	श्री मनोज प्रजापति, वार्ड नं. 15, म. नं. 53, अकोदिया जाटपुरा, जिला शाजापुर (म. प्र.)	30/3910-A
82	श्री जगदीश चन्द्र वर्मा, आ. श्री गेंदालाल वर्मा, स्टेट बैंक आफ इण्डिया के पीछे, अंजड़ तह. व जिला बड़वानी (म. प्र.)	40/3917-A
83	श्री ओम प्रकाश गेहवाल आ. श्री राम प्रसाद गेहवाल, म. नं. 333 न्यू सिटी कालोनी गुना (म. प्र.)	06/4140-A
84	श्री देवेन्द्र घोले आ. श्री जे. डी. घोले, निवासी वार्ड नं. 26 प्रेमनगर, बालाघाट (म. प्र.)	38/4144-A
85	मेसर्स राजावत बिल्डर्स, प्रो. महेश सिंह राजावत एफ एल-405 डी. डी. नगर, भिण्ड रोड, ग्वालियर (म. प्र.)	03/4157-A

(1)	(2)	(3)
86	मेसर्स ए. बी. कंस्ट्रक्शन्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स 35/108, लल्लु जज सहाब का मकान फोर्ट रोड, घोघट, रीवा (म. प्र.).	13/4170-A
87	श्री अंशुल अग्रवाल, म. नं. 83-84 अनुराग नगर इन्दौर (म. प्र.)	23/4173-A
88	श्री मुकेश यादव आ. श्री रामेश्वर यादव, 989, गैरतगंज जिला रायसेन (म. प्र.)	26/4176-A
89	श्री सुरेन्द्र सिंह राघव आ. पी. एस. राघव, शहीद कालोनी वार्ड नं. 5, नगर पालिका पार्क के सामने, ब्यावरा, राजगढ़ (म. प्र.).	31/4177-A
90	श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल, सत्या एसोसिएट्स, जी-11, गांधी नगर, ग्वालियर (म. प्र.)	03/4195-A
91	मेसर्स के. पी. कंस्ट्रक्शन एण्ड इलेक्ट्रिकल्स, प्रो. श्री संदीप सोनी, ए-99, पदमनाभ नगर, ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल (म. प्र.).	28/4205-A
92	मेसर्स के. एन. डी. देवकान प्रा. लि. जी-एल-101 डी. डी. नगर, नियर कुशवाहा मार्केट, ग्वालियर (म. प्र.).	03/4207-A
93	मेसर्स कैम्ब्रीज इण्डस्ट्रीज, नियर एल आई जी वाटर टेक, सिंगरौली (म. प्र.)	15/4210-A

निम्नलिखित विद्युत् ठेकेदारी अनुज्ञप्तियाँ उनके सम्मुख दर्शाई गई तिथि से विद्युत् ठेकेदार के स्वयं के अनुरोध पर निरस्त की जा चुकी है

क्र. (1)	नाम एवं पता (2)	दिनांक (3)	अनुज्ञप्ति क्र. (4)
1	श्री अरूण कुमार गुप्ता आ. श्री डी. पी. गुप्ता गली नं. 2, चांदबड़, भोपाल (म. प्र.)	15-03-2014	477-A
2	श्री विष्णु प्रसाद विश्वकर्मा बारा पत्थर बबरिया रोड, सिवनी (म. प्र.)	31-12-2014	252-A
3	श्री के. वी. सोनी, द्वारा सूर्या इलेक्ट्रिकल्स, 52/1 शांति निकेतन गोविन्दपुरा भोपाल (म. प्र.)	27-03-2015	570-A
4	श्री सुनील शर्मा, नया बाजार पंजाब नेशनल बैंक के पीछे लश्कर ग्वालियर (म. प्र.)	22-02-2015	3/1236-A
5	श्री पंकज कुमार पालीवाल मेसर्स पालीवाल इले., म. नं. 1 साहूबावड़ी माणक चौक रतलाम (म. प्र.).	11-10-2014	17/1273-A
6	श्री लक्ष्मण सिंह वर्मा, मेसर्स आशीष इलेक्ट्रिकल्स, म. नं. 17 वार्ड नं. 2 पो. धनपुरी, जिला शहडोल (म. प्र.).	31-12-2014	14/312-A
7	श्री विनोद कुमार अग्रवाल द्वारा खादी वाला, नागौद, सतना (म. प्र.)	04-09-2014	12/1321-A
8	श्री बाबूलाल यादव द्वारा यादव इलेक्ट्रिकल्स, म. नं. 46 गली नं. 4 रानी बाग देवास (म. प्र.)	01-03-2015	20/1336-A
9	श्री अरविन्द श्रीकृष्ण एकतारे 81 तिलक पथ (रामबाग) इन्दौर (म. प्र.)	15-02-2015	23/1591-A
10	श्री सुरेश प्रताप सिंह आ. श्री दशरथ सिंह, जी-4 पुलिस लाइन, देवास (म. प्र.)	25-05-2015	20/1779-A
11	श्री रतन कुमार भल्ला 132 विवेकानन्द मार्ग, घोघर, रीवा (म. प्र.)	13-12-2014	13/1782-A
12	श्री लोकेश माने आ. श्री बालकृष्ण माने, 59 नारायण बाग, इन्दौर (म. प्र.)	12-09-2015	23/1808-A
13	श्री शमशुद्दीन शेख आ. श्री निजाम शेख, मेसर्स हिना इलेक्ट्रीकल्स 26 वल्लभ नगर, भोपाल (म. प्र.).	31-07-2014	28/830-A
14	श्री रामसिंह ठाकुर आ. श्री मूरत सिंह ठाकुर 14 बृजनगर रामेश्वर वार्ड, खण्डवा (म. प्र.)	24-03-2015	25/2102-A
15	श्री दर्शन सिंह पटेल आ. श्री मेहरवान सिंह पटेल, म. नं. 433 इंदिरा वार्ड, गाडरवारा जिला नरसिंहपुर (म. प्र.).	01-06-2015	35/2247-A
16	श्री मनोज कुमार साह, म. नं. 182 वापूजी मोहल्ला, श्योपुर (म. प्र.)	25-05-2015	04/2251-A

(1)	(2)	(3)
17	श्री राधेश्याम शर्मा आ. श्री भेरूलाल शर्मा, 131 त्रिपदा, प्रताप नगर धानासुता मार्ग रतलाम (म. प्र.).	22-05-2015 17/2382-A
18	श्री यशपाल सिंह, रामलीला मैदान, वार्ड नं. 9, रायसेन (म. प्र.)	22-02-2015 26/2733-A
19	श्री राम निवास मीणा, प्रो. कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स, ग्राम खुटियारी पो. बमौरी, जिला गुना (म. प्र.)	24-09-2014 06/2872-A
20	श्री प्रणव मिश्रा, ई-6 एल.आई.जी.-ए 42, अरेरा कालोनी, भोपाल (म. प्र.)	15-06-2015 28/3761-A
21	श्री संजीव अग्रवाल, 196 पुलिस लाईन तह. श्योपुर जिला श्योपुर (म. प्र.)	18-09-2015 04/4206-A
22	श्री कैलाश चन्द्र भेसोटा, एल.आई.जी.-62/3 डी साकेत नगर, भोपाल (म. प्र.)	31-12-2014 28/4214-A
23	श्री भगवान दास कोटिया, बी/सी-20 प्रगति नगर, रिषीपुरम फेस वन बरखेड़ा भोपाल (म. प्र.)	05-01-2015 28/4257-A
24	श्री चेतन्य पवार आ. श्री राजेश पवार 60, चाणक्यपुरी, अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर (म. प्र.)	10-02-2015 23/4589-A
25	श्री आनन्द कुलकर्णी, 441 बी वैशाली नगर, इन्दौर (म. प्र.)	07-01-2015 23/4825-A
26	श्री राकेश कुमार शर्मा, म. नं. 11/3, गुंज मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन (म. प्र.)	13-08-2015 18/4989-A
27	इंजी. महेश प्रसाद खरे, म. नं. 14/27 पुराने थाने के पास तह. पवाई जिला पन्ना (म. प्र.) 485446.	14-08-2015 43/3324-A
28	श्री मोहम्मद नफीस काजी, प्रो. कोकब इन्फ्रास्ट्रक्चर, 10 बुक ब्राण्ड कालोनी, मानिक बाग रोड, इन्दौर (म. प्र.).	05-05-2015 23/3377-A
29	श्री श्रवण सिंह सिसोदिया आ. श्री राम सिंह, म. नं. 70, आष्टा रोड, कन्नौद जिला देवास (म. प्र.).	30-06-2015 20/3408-A
30	श्री अशोक पटेल आ. श्री जयराम पटेल, 61/11 आजाद नगर, देवास रोड, उज्जैन (म. प्र.)	27-11-2014 18/4032-A
31	श्री प्रमोद कुमार आ. श्री जी. एस. मालवीय, 8 बी, कल्याण विश्रान्ति गृह, रेल्वे स्टेशन के पास, इन्दौर (म. प्र.).	31-12-2014 23/4067-A
32	श्री अमित कुमार श्रीवास्तव आ. श्री एस. एन. श्रीवास्तव, 52 चुना गली, ढलकपुरा तलैया, विदिशा (म. प्र.).	23-09-2015 27/4098-A
33	हाइथ्रो पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, "टेक्प्रो हाऊस" 78 सेक्टर 34 नेशनल हाईवे, गुड़गांव-122001 (हरियाणा).	10-10-2014 US/4107-A

ए. के. दुबे, सचिव.

## आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी

मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2015

क्र. 7461-2913-अकां-विपप्र-2015.—राज्य शासन द्वारा भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 सितम्बर 2015 को प्रश्नपत्र-द्वितीय दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा

जाना) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
		उच्चस्तर नई दिल्ली
1	श्री सतीश कुमार एस.	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
2	श्री फ्रैंक नोबल ए.	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
3	श्री गिरीश कुमार मिश्र	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
4	कु. रजनी सिंह	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)	31	श्री जयप्रकाश पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
5	श्री मयंक अग्रवाल	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)	32	श्री पद्म भूषण चौरसिया	राजस्व निरीक्षक
6	श्री अमनबीर सिंह बैस	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)	33	श्री संदीप यादव	पटवारी
7	श्री एस. कृष्ण चैतन्य	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)	34	श्री पूरन लाल आठ्या	राजस्व निरीक्षक
			35	श्री लखन सिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
			36	श्री जमुना प्रसाद रावत	राजस्व निरीक्षक
<b>भोपाल संभाग</b>			<b>जबलपुर संभाग</b>		
8	श्री आशीष भार्गव	सहायक कलेक्टर	37	श्री सुबोध कुमार श्रीवास	राजस्व निरीक्षक
9	श्री राजेन्द्र प्रसाद त्यागी	राजस्व निरीक्षक	38	श्री प्रवीण दुबे	राजस्व निरीक्षक
10	श्री कमल किशोर शर्मा	राजस्व निरीक्षक	39	श्री कमलेश प्रसाद पाठक	राजस्व निरीक्षक
11	श्री प्रतिनीश कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक	40	श्री राज बहादुर सिंह चिचाम	राजस्व निरीक्षक
12	श्री राकेश कुमार शुक्ल	नायब तहसीलदार	41	श्री दीनबन्धु प्रजापति	राजस्व निरीक्षक
13	श्री किशोर सिंह सिकरवार	राजस्व निरीक्षक	42	श्री सुनुवा लाल भलावी	राजस्व निरीक्षक
14	श्री रामदास गोरले	राजस्व निरीक्षक			
15	कु. ज्योति राजपूत	नायब तहसीलदार	<b>ग्वालियर संभाग</b>		
16	श्रीमती नीलम परसेंड़िया	नायब तहसीलदार	43	श्री दीपक गोस्वामी	राजस्व निरीक्षक
17	कु. अंकिता बायपेयी	नायब तहसीलदार	44	श्री ओमप्रकाश तिवारी	राजस्व निरीक्षक
18	श्री करन्जु लाल अहिरवार	राजस्व निरीक्षक	45	डॉ. महेश सिंह कुशवाह	नायब तहसीलदार
<b>सागर संभाग</b>			<b>शहडोल संभाग</b>		
19	श्री मनीराम कोंदर	राजस्व निरीक्षक	46	श्री ज्ञानदास पनिका	राजस्व निरीक्षक
20	श्री देवेन्द्र कुमार पटैरिया	राजस्व निरीक्षक	47	श्री श्याम लाल सिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
21	श्री सुशील कुमार खरे	राजस्व निरीक्षक			
22	श्री योगेन्द्र कुमार चौधरी	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)	<b>रीवा संभाग</b>		
23	श्री ओम प्रकाश त्रिवेदी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	48	श्री कमल सिंह बागरी	राजस्व निरीक्षक
24	श्री ओंकार सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक	49	श्री सोनई प्रसाद प्रजापति	राजस्व निरीक्षक
25	श्रीमती आरती भट्ट	पटवारी	50	श्री नत्थू लाल रावत	राजस्व निरीक्षक
26	श्रीमती स्वीटी साहू	पटवारी	51	श्री मिथिला प्रसाद पटेल	राजस्व निरीक्षक
27	कु. रश्मि बौद्ध	पटवारी	52	श्री मनोज कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक
28	श्री सुरेश कुमार खटीक	राजस्व निरीक्षक	53	श्री अकलेश मालवीय	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
29	श्री अभिषेक जैन	पटवारी			
30	श्रीमती स्वालेहा खान	पटवारी			

(1)	(2)	(3)
54	श्री राजेश कुमार सिंह	राजस्व निरीक्षक
<b>निम्नस्तर</b>		
<b>भोपाल संभाग</b>		
1	श्री प्रदीप मेहकाली	राजस्व निरीक्षक
2	श्री हरिदास मेवारी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
3	श्री प्रहलाद सिंह मीना	राजस्व निरीक्षक
4	श्री जगदीश पटेल	राजस्व निरीक्षक
5	श्री शंकर सिंह पटेलिया	राजस्व निरीक्षक

**इंदौर संभाग**

6	श्री राकेश कुमार पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
7	श्री नरेश कुमार सोनी	राजस्व निरीक्षक
8	श्री अजय कुमार पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक

**सागर संभाग**

9	श्री अभय सिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक
10	श्रीमती आरती राणा	पटवारी
11	श्री श्याम बिहारी समेले	राजस्व निरीक्षक
12	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक

**उज्जैन संभाग**

13	श्री कमल प्रसाद मेहरा	राजस्व निरीक्षक
14	श्री मोहन लाल गोयल	राजस्व निरीक्षक
15	श्री योगेन्द्र तिवारी	राजस्व निरीक्षक
16	श्री राम लाल मुनिया	नायब तहसीलदार

**जबलपुर संभाग**

17	श्री गिरजा शंकर गौतम	राजस्व निरीक्षक
18	श्री अरूण प्रताप सिंह	राजस्व निरीक्षक

(1)	(2)	(3)
19	श्री खेमलाल मर्सकोले	राजस्व निरीक्षक
20	श्री राम प्रकाश वरकड़े	राजस्व निरीक्षक
21	श्री तीरथ प्रसाद सन्त	राजस्व निरीक्षक
22	श्री सुनील कुमार गुप्ता	राजस्व निरीक्षक
23	श्री रामसिंह ओड़ाली	राजस्व निरीक्षक
24	श्री राजू प्रसाद कोल	राजस्व निरीक्षक
25	श्री किशोर कुमार उइके	राजस्व निरीक्षक
26	श्री शांतिलाल बिश्नोई	नायब तहसीलदार
27	श्री हरगोविन्द प्रसाद धुर्वे	राजस्व निरीक्षक

**ग्वालियर संभाग**

28	श्रीमती वंदना बघेल	नायब तहसीलदार
29	डॉ. मधुलिका तोमर	नायब तहसीलदार
30	श्री गणेशराम हरिऔध	राजस्व निरीक्षक
31	श्री ओम प्रकाश आर्य	राजस्व निरीक्षक
32	श्री शान्ती लाल राजपूत	राजस्व निरीक्षक
33	श्रीमती शबाना खान	राजस्व निरीक्षक
34	श्री राजेन्द्र सिंह परमार	राजस्व निरीक्षक

**शहडोल संभाग**

35	श्री गरीबदास ख्याम	राजस्व निरीक्षक
----	--------------------	-----------------

**रीवा संभाग**

36	श्री सुनील कुमार द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक
37	श्री दिवाकर प्रताप सिंह	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
38	श्री मनफेर प्रसाद कोल	राजस्व निरीक्षक
39	श्री रामशिरोमणि तिवारी	राजस्व निरीक्षक
40	श्री राम मनोरथ प्रजापति	राजस्व निरीक्षक
41	श्री शेषमणि शर्मा	राजस्व निरीक्षक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी बैहर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैहर, दिनांक 24 सितम्बर 2015

क्र. 1990-अ-82-वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	परसवाड़ा	बैहर 17/1	निजी भूमि 4.994 हेक्ट. सिंचित/असिंचित	कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर, जिला बालाघाट.	ग्राम झाराखेड़ा झारा जलाशय के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैहर, भू-अर्जन अधिकारी, बैहर, जिला बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना, संभाग बैहर, जिला बालाघाट, म. प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1996-अ-82-वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	परसवाड़ा	बैहर रौंदाटोला.	निजी भूमि 1.841 हेक्ट. सिंचित.	कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना संभाग बैहर, जिला बालाघाट.	ग्राम झाराखेड़ा झारा जलाशय के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैहर, भू-अर्जन अधिकारी, बैहर, जिला बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, बंजर नदी परियोजना, संभाग बैहर, जिला बालाघाट म. प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रोहित सिंह, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी व पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 26 अक्टूबर 2015

क्र. भू-अर्जन-2015-16-6031-प्र. क्र. 04-अ-82 वर्ष-2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	पटेरा	कुम्हारी पडरी	0.12 0.15 योग . . . 0.27	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लि., सागर.	दमोह-कटनी मार्ग निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड हटा एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लि., सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2015-16-6032-प्र. क्र. 03-अ-82 वर्ष-2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	पटेरा	सगौनी	0.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, दमोह.	सगौनी जलाशय निर्माण में शेष छूटी भूमि का अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड हटा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दमोह, दिनांक 28 अक्टूबर 2015

क्र. भू-अर्जन-2015-16-प्र. क्र. 01अ-82-वर्ष-2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013

की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	पटेरा	कुसमी	0.08	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, दमोह.	कुसमी जलाशय नहर निर्माण में शेष छूटी भूमि का अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड हटा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-2015-16 प्र. क्र. 02 अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	पटेरा	कुम्हारी	0.06	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, दमोह.	खोबा जलाशय की नहर निर्माण में शेष छूटी भूमि का अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड हटा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 9 नवम्बर 2015

क्र. 449-भू-अर्जन-2015.—भू-अर्जन-प्र. क्र.-02-अ-82-14-15-दिनांक 6-11-2015 द्वारा जारी धारा-11 की अधिसूचना में स्थल निरीक्षण पश्चात् निम्नानुसार भूमि का अर्जन लोक निर्माण विभाग के पक्ष में किया जाना है। अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन



अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायसेन	गौहरगंज	गेंहूखेडा	1.704	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, रायसेन.	बीलाखेडी, पारखेडी, गेंहूखेडा, महिष विद्या मंदिर से एन.एच.-12 तक सड़क निर्माण.
		पारखेडी	0.980		
		बीलाखेडी	0.718		
		आंखखेडी	0.155		
		खिल्लीखेडा	0.210		
		योग . .	<u>3.767</u>		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 6 नवम्बर 2015

क्र. भू-अर्जन (अ-82) 2014-15-1078.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	बजाग	बछरगांव माल	634	0.12	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	पिण्डरूखी डायवर्सन योजना नहर कार्य.
		प.ह.नं. 174	633/1	0.10		
			631	0.08		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			630	0.110		
			627	0.30		
			605/1	0.08		
			605/2	0.10		
			572	0.02		
			573	0.16		
			559	0.07		
			553/3	0.06		
			553/2	0.06		
			527	0.04		
			526	0.04		
			525/1	0.05		
			528	0.08		
			531	0.08		
			524	0.06		
			523/3	0.05		
			522	0.03		
			523/2	0.05		
			635/1	0.02		
			663	0.02		
			532	0.02		
			योग . .	1.800		
			शासकीय भूमि	0.070		
			कुल योग . .	1.870		

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
छवि भारद्वाज, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
पन्ना, दिनांक 12 नवम्बर 2015

प्र. क्र. 228-अ-82-वर्ष 2014-15.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की उपधारा (3) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	भडार	निजी भूमि रकबा 0.50 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.16 है. कुल रकबा 0.66 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत दांयी तट नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 009-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की उपधारा (3) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (3)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	कोहनी	निजी भूमि रकबा 1.938 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.213 है. <u>कुल रकबा 2.150 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	डोभा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 001-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की उपधारा (3) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (3)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	महुआडाडा	निजी भूमि रकबा 1.450 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 2.688 है. <u>कुल रकबा 4.138 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	महुआडाडा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 002-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है.

राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की उपधारा (3) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	सिमरी बहादुर सिंह	निजी भूमि रकबा 1.913 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.050 है. <u>कुल रकबा 1.963 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सिमरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 003-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की उपधारा (3) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	तुर्कीताल	निजी भूमि रकबा 1.738 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.150 है. <u>कुल रकबा 1.888 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सिमरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 004-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की उपधारा (3) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	कोट	निजी भूमि रकबा 2.688 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.238 है. <u>कुल रकबा 2.925 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सेमरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 005-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की उपधारा (3) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	बरहाखुर्द	निजी भूमि रकबा 1.400 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.038 है. <u>कुल रकबा 1.438 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सेमरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 006-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की उपधारा (3) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	सिमरीसूरत	निजी भूमि रकबा 2.030 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.038 है. <u>कुल रकबा 2.068 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सेमरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 007-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की उपधारा (3) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	विक्रमपुर	निजी भूमि रकबा 13.33 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.93 है. <u>कुल रकबा 14.26 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	जसवंतपुरा तालाब योजना अन्तर्गत बौध एवं नहर निर्माण (छूटी हुई भूमि) कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 008-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की उपधारा (3) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (3)	सार्वजनिक प्रयोजन		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	पगरा	निजी भूमि रकबा 1.736 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	पगरा तालाब योजना अन्तर्गत बाँध एवं नहर निर्माण (छूटे हुए एवं कम रकबा) कार्य हेतु.
कुल रकबा 1.736 है.					

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2015

प्र. क्र. 02-अ-82-2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. चूंकि तरपेड़बांध परियोजना के बांध/नहर निर्माण में आने वाले अधिकांश भू-भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी हैं. इसी परियोजना के नहर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12	सार्वजनिक प्रयोजन		
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	छतरपुर	भेलसी	13.000	भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर	तरपेड़ बांध परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 01-अ-82-2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. चूंकि तरपेड़बांध परियोजना के बांध/नहर निर्माण में आने वाले अधिकांश भू-भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के नहर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित हैं:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (हे. में)	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
छतरपुर	छतरपुर	गहरवार	18.000	भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर	तरपेड़ बांध परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में के दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. चूंकि तरपेड़बांध परियोजना के बांध/नहर निर्माण में आने वाले अधिकांश भू-भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के नहर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित हैं:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (हे. में)	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
छतरपुर	छतरपुर	हिलगुवां	2.500	भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर	तरपेड़ बांध परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,  
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
रीवा, दिनांक 5 नवम्बर 2015

भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

पत्र क्र. 2268-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रघुराजनगर  
(ग) ग्राम—सोनवर्षा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.134 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा  
(हे. में)

(1)

(2)

#### अ—निजी पट्टे की भूमि

432	0.029
436	0.100
459	0.020
437	0.034
458	0.349
457	0.067
456	0.036
453	0.060
454	0.055
400	0.067
399	0.043

योग . . . 0.860

#### ब—शासकीय भूमि

482	0.135
484	0.024
485	0.031
486	0.084

योग . . . 0.274

योग (अ-ब) . . . 1.134

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान  
(ग) ग्राम—अमिलिया  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.453 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा  
(हे. में)

(1)

(2)

#### अ—निजी पट्टे की भूमि

56	0.243
53	0.152
55	0.048
	0.443

#### ब—शासकीय भूमि

57	0.010
योग . . .	0.010
महायोग (अ-ब) . . .	0.453

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के सराय माइनर नहर के निर्माण आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के बेलहटा माइनर नहर के निर्माण आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2270-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित



रीवा, दिनांक 7 नवम्बर 2015

पत्र क्र. 2272-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रघुराजनगर  
(ग) ग्राम—खम्हरिया पैपखार तिवरियान  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.106 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
109	0.067
97	0.159
160	0.019
161	0.024
163	0.043
169	0.082
189	0.043
225	0.077
230	0.067
234	0.010
233	0.001
238	0.019
237	0.043
243	0.084
228	0.106
227	0.001
250	0.144
251	0.082
252	0.082
260	0.001
योग . . .	1.072
ब—शासकीय भूमि	
224	0.034
योग . . .	0.034
योग (अ-ब) . . .	1.106

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के खम्हरिया माइनर नहर के निर्माण आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2274-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान  
(ग) ग्राम—सराय  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.846 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
226	0.192
324	0.042
323	0.202
337	0.405
457	0.018
436	0.360
435	0.224
439	0.088
440	0.136
441	0.352
456	0.120
532	0.204
534	0.060
536	0.017
योग . . .	2.420
ब—शासकीय भूमि	
343	0.093
417	0.016
534/2	0.017
536/1	0.300
योग . . .	0.426
महायोग (अ-ब) . . .	2.846

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के सराय माइनर नहर के निर्माण आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के हिनौती वितरक नहर के निर्माण आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2276-प्रशा.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत जिसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 6 नवम्बर 2015

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रघुराजनगर  
(ग) ग्राम—बेलहटा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.371 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)

#### अ—निजी पट्टे की भूमि

53	0.024
50	0.010
49	0.115
48	0.010
47	0.130
89	0.163
99	0.149
98	0.010
100	0.025
106	0.156
104	0.168
105	0.055
642	0.072
643	0.231
644	0.010
योग . .	1.328

#### ब—शासकीय भूमि

88	0.024
641	0.019
योग . .	0.043
महायोग (अ-ब) . .	1.371

क्र.-भू-अर्जन-50(अ-82)2014-15-1079—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस लघु सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी  
(ख) तहसील—बजाग  
(ग) ग्राम—बघरैली रै. प.ह.नं. 175  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.270 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
9/1	1.57
9/2	0.30
10/1	0.52
10/2	0.25
12/1	0.12
13	0.39
15	0.16
18/1	0.12
18/1	0.07
23/2	0.08

(1)	(2)
23/3	0.65
24/1	0.01
25	0.64
26	0.43
34	0.30
38/1	0.15
38/1	0.29
38/3	0.25
40/1	0.07
40/3	0.08
40/4	0.09
40/5	0.03
41	0.10
42	0.85
44	1.13
योग . . .	8.650

## शासकीय भूमि

1, 11/2, 14, 17, 20/2, 23/4, 23/5, 24/2, 27, 28, 35, 36, 37, 43	6.620
कुल योग . . .	15.270

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पिण्डरूखी डायवर्सन सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु भू-अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन विभाग डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-50(अ-82)2014-15-1080—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस लघु सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

## अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी  
(ख) तहसील—बजाग

(ग) ग्राम—पण्डरूखी माल प.ह.नं. 175	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—18.010 हेक्टेयर.	
सर्वे	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित
नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
190	0.16
191	0.05
192	0.08
193	0.20
194	0.10
195	0.51
196	0.37
197/1	0.15
494	0.49
495	0.58
499	0.70
500	0.62
502	0.12
503	0.35
504	0.47
506	0.14
541	0.30
542	1.15
544	1.44
546	0.26
549	0.80
550	0.40
587	1.49
588	0.55
614	0.25
616	0.25
योग . . .	11.98

## शासकीय भूमि

197/2, 496, 497, 498, 501, 505, 547, 548, 586, 613	6.030
कुल योग . . .	18.010

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पिण्डरूखी डायवर्सन सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु भू-अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन विभाग डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
छबि भारद्वाज, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 6 नवम्बर 2015

क्र. एफ. 249-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—उचेहरा

(ग) नगर/ग्राम—कुलगढ़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.537 हेक्टर.

खसरां नं.

अर्जित रकबा  
(हेक्टर में)

(1)

(2)

16

0.029

17

0.008

29

0.032

30

0.038

31

0.015

32

0.015

41/1

0.003

51

0.100

52

0.100

53

0.006

56/1

0.176

58/2

0.015

87/1/क

0.015

87/1/ख

0.036

87/1/ग

0.004

87/1/घ

0.055

87/2/ख

0.050

87/2/ग

0.022

87/3

0.038

93/2

0.030

94/3

0.156

95/3

0.012

133/3

0.015

134/1

0.234

(1)

134/3

135/3

136/3

138

139

140

141

142

143

144

218

219

220/1

220/2

221

224/4

246

247

274

275

276

277

281

282

283

284

285

288

589/1/ख

589/1/घ/1/ख

592

593

601/1

601/3

605/1

605/2

606

608

609

623

624

628

(2)

0.168

0.010

0.211

0.098

0.005

0.063

0.011

0.008

0.130

0.030

0.008

0.105

0.031

0.005

0.240

0.103

0.110

0.105

0.008

0.060

0.030

0.027

0.060

0.060

0.004

0.023

0.011

0.004

0.004

0.005

0.046

0.230

0.020

0.006

0.100

0.109

0.013

0.100

0.100

0.081

0.011

0.021

(1)	(2)	(1)	(2)
629	0.017	612	0.010
630/1	0.005	613	0.005
630/2	0.010	659/2	0.021
630/3	0.006	660/1	0.031
631/2	0.074	660/2	0.026
631/3	0.010	661/1/क/1	0.073
462	0.042	661/1/क/2	0.020
463/1	0.021	662/1	0.012
464/1	0.085	663	0.147
464/3	0.093	664/1	0.015
465	0.025	665/1	0.302
466	0.004	681	0.115
467	0.084	682	0.005
468/1/क	0.007	684	0.107
468/1/ख/1	0.003	685	0.010
468/1/ख/2	0.002	686	0.062
468/1/ख/3	0.002	687	0.011
468/1/ग	0.007	811	0.015
468/2	0.010	813	0.157
468/3/क	0.005	814	0.052
468/3/ख	0.005	815	0.020
468/4	0.010	817	0.052
468/5	0.005	818	0.230
468/6	0.005	819/1/क	0.003
469	0.011	819/1/ख	0.003
470	0.138	819/1/ग	0.004
471	0.094	819/1/घ	0.010
472	0.004	819/2	0.010
475	0.028	819/3	0.003
476	0.016	821	0.012
477	0.035	822	0.052
577	0.100	837	0.016
578	0.125	838	0.060
579	0.094	839	0.157
580	0.078	898	0.070
583/1	0.021	899	0.016
584/1	0.087	900	0.089
585	0.010	901	0.100
587	0.012	902	0.052
588	0.146	903	0.042
610	0.182	905	0.026
611	0.094	906/1	0.046

(1)	(2)
906/2	0.026
907	0.006
908	0.012
909/1	0.135
910/1	0.011
914	0.010
962	0.035
963/1/क	0.030
963/1/ख	0.030
963/2	0.052
964	0.017
967/1	0.120
968/1	0.030
970	0.080
980/1/ख	0.044
981	0.063
1020/2	0.213
1021/1	0.025
982	0.084
983	0.015
988	0.052
989	0.042
1000	0.192
1001	0.100
1002	0.020
1011	0.147
1012	0.010
1019	0.077
कुल योग . . .	<u>9.537</u>

निजी खाता भूमि योग रकबा 9.537 हे.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिनके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अमदराज माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—उचेहरा  
(ग) नगर/ग्राम—मानिकपुर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.800 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
67	0.023
69	0.195
79/1/क	0.053
79/1/ख	0.077
79/1/ग	0.086
80/1/क	0.013
80/1/ख	0.007
80/2	0.006
81	0.096
82/1	0.072
83/1	0.104
83/2	0.028
86	0.070
88	0.030
89	0.055
92	0.016
93	0.018
94	0.016
97	0.020
106/1	0.028
107/1	0.023
134	0.105
135	0.070
136/1	0.006
137/1	0.018
137/2	0.107
137/3	0.103
156/1/क/1	0.197

क्र. एफ. 250-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक

(1)	(2)	(1)	(2)
156/1/ख	0.168	821/2	0.010
157/1/क	0.040	826/1	0.180
158/2	0.272	826/3	0.106
480/1	0.084	827/1	0.023
480/2	0.102	827/2	0.024
480/3	0.031	828/1	0.021
481/4	0.006	829	0.053
482/1/ख	0.018	830/1/ग	0.032
482/1/ग	0.010	830/2	0.095
482/2	0.105	830/3	0.084
482/3	0.052	835/1	0.005
484/1	0.014	835/2	0.074
484/2	0.095	835/3	0.048
484/3	0.018	836/1	0.011
485/1	0.016	836/2	0.010
504/1/क/2/1/1	0.100	793/2	0.135
504/1/क/1/1/क	0.105	796	0.103
504/1/क/2/1/2	0.126	797	0.152
504/1/क/2/2	0.064	800/2	0.126
505/2	0.015	800/3	0.005
525/1	0.025	800/4/क	0.147
525/2	0.042	802	0.104
526	0.010	803/1	0.082
530	0.018	802/2	0.071
531	0.025	804/1/क	0.051
532/1	0.010	804/1/ख	0.053
533	0.003	804/2/क	0.066
534/1	0.015	822/1	0.014
534/2	0.016	822/2	0.080
535	0.137	कुल योग . . .	<u>5.800</u>
536	0.052	निजी खाता भूमि योग रकबा 5.800 हे.	
537	0.052	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिनके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी	
538	0.052	व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर	
539	0.016	के अमदराज माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु.	
540	0.010	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर	
541/1	0.012	(भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा	
541/2	0.030	सकता है.	
820/1	0.032	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
821/1	0.195	संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.	

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 14th October 2015

No. 962-Confdl.-2015-II-3-1-2015.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur is conducting **Induction Training (Third Phase) for the newly appointed Civil Judges Class II of 2014 Batch from 16 November 2015 to 11 December 2015 in the Academy.** Trainee Judges, whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course.

Conditions for the course :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the course shall not pray for adjustment.
  2. The participants shall report by 9:30 a.m. on **16 November 2015** in the Lecture Room of MPSJA at Jabalpur.
  3. They shall appear for the course in prescribed uniform (i. e. Black coat, white shirt, grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies) during entire duration of the course.
  4. The participants shall bring with them one copy each of the following, if delivered/prepared during their Third Phase Practical Exercise:
    - (i) Judgments in Civil and Criminal cases (preferably contested);
    - (ii) Issues;
    - (iii) Charge and
    - (iv) Examination of accused;
    - (v) The notes prepared by them during Third Phase Practical Exercise; and
    - (vi) Notes prepared by them during programmes under the aegis of District Legal Services Authority, attended/conducted by them.
  5. The participants may send legal problems which they want to be addressed during the course to the Institute by fax (No. 0761-2628679) Sufficiently in advance.
  6. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.
  7. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging, boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Academy.
- The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance, may inform the

Academy to Shri Gyan Prakash Tekam, A. G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha, Care Taker on Mobile No. 91-713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi, A. G. II on Mobile No. 91-8878747939 at least 3 days in advance, so that proper arrangement for their reception may be made. It may however be noted that it may not be possible for the Academy to make arrangement for carriage of participants' luggage to the parked vehicles. Judicial Officers included in the Course will be provided with a vehicle at the Main Entrance of Railway Station (Platform No. 1 only) according to their programme.

8. The Guest House of the Academy is located on second and third floors of the MPSJA building. At present the lift is not functional. The participants are with prior intimation to the Academy, free to stay at the accommodation of their choice. In such a case the participants shall be entitled to only T. A. & D. A. as per rules. However, it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up from and drop back to such place.
9. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants from preceding day of commencement of training upto Morning of the succeeding day of the end of training.
10. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the course, free of charge.

शुद्धिपत्र

जबलपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2015

क्र. C-4650-पेंशन-चार-9-4/39 भाग-तीन-डी.—रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी-2406 पेंशन-चार-9-4-39-भाग तीन डी दिनांक 17-6-15 के सरल क्रमांक 10 में दर्शित श्रीमती गीता तांबोली के नाम के सम्मुख स्तंभ क्रमांक 4 में अंकित जन्मतिथि 04-04-1956 के स्थान पर 04-07-1956 एवं स्तंभ क्रमांक 5 में अंकित सेवानिवृत्ति का दिनांक 30-04-2016 अप. के स्थान पर 31-07-2016 अप. पढ़ा जावे।

जबलपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2015

क्र. A-4550-एक-7-3-15भाग-एक.—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी-4915-एक-7-3-2014 भाग-1 जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2014 में आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में दीपावली त्यौहार के उपलक्ष्य में सोमवार दिनांक 9 नवम्बर 2015 एवं मंगलवार दिनांक 10 नवम्बर 2015 को अवकाश घोषित करते हुए उसके एवज में शनिवार दिनांक 28 नवम्बर 2015 एवं 5 दिसम्बर 2015 को न्यायालयीन कार्य दिवस घोषित किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.



Jabalpur, the 5th November 2015

No.B-5017-I-7-3-2015 (Part-I).—It is hereby notified that the following are the Vacation/Holidays of the High Court of Madhya Pradesh during the Year 2016.

Summer Vacation:— From Monday 16th May to Friday 10th June, 2016  
Winter Vacation:— From Friday 23rd December to Saturday 31st December, 2016.

Sr. No.	Name of Holidays	Dates as per Gregorian Calendar	Days of Week
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	New Year's Day	01-01-2016	Friday
2.	Makar Sankranti	15-01-2016	Friday
3.	Republic Day	26-01-2016	Tuesday
4.	Mahashivratri	07-03-2016	Monday
5.	Holi (Dhuredi)	23-03-2016	Wednesday
6.	Bhai Dooj	24-03-2016	Thursday
7.	Good Friday	25-03-2016	Friday
8.	Gudi Padwa/Chaiti Chand	08-04-2016	Friday
9.	Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi	14-04-2016	Thursday
10.	Ramnavmi	15-04-2016	Friday
11.	Mahaveer Jayanti	19-04-2016	Thursday
12.	Id-UI-Fitar	06-07-2016	Wednesday
13.	Independence Day	15-08-2016	Monday
14.	Raksha Bandhan	18-08-2016	Thursday
15.	Janmashtmi	26-08-2016	Friday
16.	Ganesh Chaturthi	05-09-2016	Monday
17.	Id-UI-Zuha	12-09-2016	Monday
18.	Sarv Pitra Moksha Amavasya	30-09-2016	Friday
19.	Dussehra (11-10-2016) Mahanavmi	10-10-2016	Monday
		11-10-2016	Tuesday
20.	Moharrum	12-10-2016	Wednesday
21.	Deepawali (30-10-2016)	28-10-2016	Friday
		29-10-2016	Saturday
		31-10-2016	Monday
		01-11-2016	Tuesday
22.	Gurunanak Jayanti	14-11-2016	Monday
23.	Id-milad un-Nabi	12-12-2016	Monday

Total: 27 Days

NOTES :—

1. Saturday falling on 30th April 2016 will be Courts working Saturday.
2. \*Monday 28th March 2016 will be a Holiday for Bench Indore only on account of Rang Panchmi and in lieu thereof Saturday 2nd April, 2016 will be Court Working Day for Bench Indore.
3. Gandhi Jayanti dated 02-10-2016, Mahaashtmi dated 09-10-2016, Deepawali dated 30-10-2016, Christmas Day dated 25-12-2016 falls on Sunday & Buddh Purnima dated 21-05-2016 fall on closed Saturday, therefore these holidays are not declared separately.
4. Saturdays falling on 9th & 16th January, 13th & 20th February, 12th & 19th March, 9th & 16th April, 14th & 21st May, 11th & 18th June, 9th & 16th July, 13th & 20th August, 10th & 17th September, 8th & 15th October, 12th & 19th November, 10th & 17th December will be closed Saturdays of High Court.
2. Summer Vacation of High Court shall be From 16th May 2016 to 10th June, 2016 and Winter Vacation from 23rd December 2016 to 31st December, 2016

By order of the High Court,  
VED PRAKASH, Registrar General.

CALENDAR OF HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR  
FOR THE YEAR 2016

Days	JANUARY	FEBRUARY	MARCH	APRIL
SUN.	(31)	(7)	(6)	(3)
MON.	4	8	7	4
TUE.	5	9	8	5
WED.	6	10	9	6
THU.	7	11	10	7
FRI.	8	12	11	8
SAT.	9	13	12	9
Days	MAY	JUNE	JULY	AUGUST
SUN.	(8)	(5)	(3)	(7)
MON.	9	6	4	8
TUE.	10	7	5	9
WED.	11	8	6	10
THU.	12	9	7	11
FRI.	13	10	8	12
SAT.	14	11	9	13
Days	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DECEMBER
SUN.	(4)	(2)	(6)	(4)
MON.	5	3	7	5
TUE.	6	4	8	6
WED.	7	5	9	7
THU.	8	6	10	8
FRI.	9	7	11	9
SAT.	10	8	12	10

- Sundays & Holidays
- △ Closed Saturday for Registry
- Vacation
- Courts working Saturday

जबलपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2015

क्र. D-5589-दो-2-11-2013.—श्री ए. एम. सक्सेना, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर, खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 5 से 9 अक्टूबर 2015 तक पांच दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2015

क्र. D-5587-दो-2-27-2011.—श्री जे. पी. माहेश्वरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को दिनांक 17 जुलाई 2015 का एक दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी. माहेश्वरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

जबलपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2015

क्र. 1008-गोपनीय-2015-दो-3-1-2015 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

#### सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री मनोज कुमार तिवारी (जूनियर)	भिण्ड	मेहगांव	भिण्ड	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी. माहेश्वरी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 2 नवम्बर, 2015

क्र. 1002-गोपनीय-2015-दो-2-1-2015 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, मुरैना को, उनके कार्य के अतिरिक्त, मुरैना जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा को मुरैना सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, मुरैना की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे।

क्र. 1010-गोपनीय-2015-दो-3-1-2015.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

### सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री आदिल अहमद खान (ट्रेनी जज).	छिन्दवाड़ा	सिवनी	सिवनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सिवनी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, (ट्रेनी जज), की हैसियत से.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 5 नवम्बर, 2015

क्र. A-4509-दो-2-13-2008.—श्री मनोहर ममतानी, प्रिंसिपल (ज्युडिशियल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 19 से 28 नवम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर ममतानी प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (ज्युडिशियल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोहर ममतानी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (ज्युडिशियल) के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, the 4th November 2015

No. C-4646-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt. Renuka Kanchan, Presiding Officer of the court of xth A S J, Gwalior for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto, of the District Headquarter Gwalior.

No. C-4648-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P. C.

1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt. Radha Sonkar, Presiding Officer of the court of Sessions Judge, Katni for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto, of the District Headquarter Katni.

No. C-4650-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt. N. V. Kaur Kandra, Presiding Officer of the court of Sessions Judge, Sehore for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto, of the District Headquarter Sehore.

No. C-4652-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt. Anuradha Shukla, Presiding Officer of the court of Ist ASJ, Rewa for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto, of the District Headquarter Rewa.

No. C-4654-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Ku. Kalpna Upadhyay, Presiding Officer of the court of IInd ASJ, Narsinghpur for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto, of the District Headquarter Narsinghpur.

No. C-4656-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of

Madhya Pradesh is pleased to designate Smt. Praveena Vyas, Presiding Officer of the court of IIIrd ASJ, Mandsaur for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto, of the District Headquarter Mandsaur.

No. C-4658-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt. Usha Gedam, Presiding Officer of the court of Ist ASJ, W.N. Mandleshwar for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto, of the District Headquarter W.N. Mandleshwar.

No. C-4660-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Deepak Kumar Tripathi, Presiding Officer of the court of Ist ASJ, Balaghat for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto, of the District Headquarter Balaghat.

By order of the High Court,  
VIVEK SAXENA, OSD (DE).